पी. एण्ड एस. बैंक

राजभाषा

अंकुर

दिसंबर 2015

वित्तीय साक्षरता

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

मेरा खाता भाग्य विधाता

mudra

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

Punjab & Sind Bank

(राजभाषा विभाग)

पी.एस.बी

कैलेंडर, वर्ष 2016

का विमोचन करते हुए
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदरबीर सिंह (आई.ए.एस.),
तथा कार्यकारी निदेशक एवं अन्य उच्चाधिकारीगण

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्रधान कार्यालय राजभाषा विभाग की हिंदी पत्रिका

राजभाषा अंकुर

(केवल आंतरिक वितरण हेतु)

'बैंक हाउस', प्रथम तल, 21, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 125

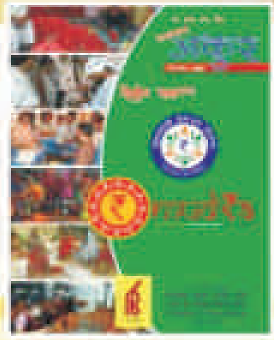

दिसंबर, 2015

मुख्य संरक्षक

श्री जतिन्दरबीर सिंह, आई.ए.एस.

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक

श्री एम. के. जैन एवं श्री ए. के. जैन

कार्यकारी निदेशक

मुख्य संपादक

श्री दीन दयाल शर्मा

महाप्रबंधक (राजभाषा)

संपादक व प्रकाशक

श्री राजिंदर सिंह बेवली

मुख्य प्रबंधक

प्रभारी, राजभाषा

संपादक मंडल

श्री कंवर अशोक

श्री राजीव कुमार राय

वरिष्ठ प्रबंधक, राजभाषा

डॉ. नीरू पाठक

प्रबंधक

श्री सोनी कुमार

राजभाषा अधिकारी

पंजीकरण सं. : एफ. 2(25) प्रैस. 91

'राजभाषा अंकुर' में प्रकाशित सामग्री में दिए गए विचार संबंधित लेखकों के अपने हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का प्रकाशित विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। सामग्री की मौलिकता एवं कॉपी राइट अधिकारों के प्रति भी लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

मुद्रक : मोहन प्रिंटिंग प्रेस

8/35ए, कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110015

फोन : 98100 87743

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संपादक मंडल / विषय-सूची	1
2.	आपकी कलम से	2
3.	संपादकीय	3
4.	प्रधानमंत्री जन-धन योजना और हमारा बैंक	4-8
5.	हमें इन पर गर्व है	9
6.	वन नहीं रहेंगे तो दर्द की राहें फूटेंगी	10-14
7.	श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव	15
8.	दिल्ली नराकास में बैंक की सफलताएँ/पुरस्कार	16-17
9.	काव्य मंजूषा : प्रादेशिक भाषा - 'संथाली'	18-19
10.	हमारी भाषा एवं हमारी संस्कृति	20
11.	हिंदी कार्यशालाएं	21
12.	वित्तीय साक्षरता शिविर	22-23
13.	राजभाषा गतिविधियाँ	24
14.	वित्त मंत्रालय की बैठक	25
15.	सोच और कर्म	26
16.	ज़रा सोचिए	27
17.	भ्रष्टाचार : कारण और निवारण	28-29
18.	भुगतान बैंक एवं लघु बैंक दृष्टिकोण	30-34
19.	कविता : समय	35
20.	कार्टून कोना	35
21.	बेताल फिर बोल पड़ा	36-37
22.	प्राथमिकता क्षेत्र की यात्रा	38-40
23.	गृह मंत्रालय द्वारा बैंक के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण	41
24.	कैसे हो महिलाओं की सुरक्षा	42-43
25.	नव नियुक्त राजभाषा अधिकारियों हेतु प्रारंभिक प्रशिक्षण	44

आपकी कलम से....

आपके बैंक द्वारा प्रकाशित अंकुर का सितंबर 2015 अंक मिला। पत्रिका का मुख्यपृष्ठ बहुत आकर्षक एवं कमनीय है। इस अंक के सभी लेख सारगर्भित, सामयिक और सराहनीय है। 'दिलों में ज़िंदा रहेंगे कलाम' एवं 'महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सुरक्षा बंधन का महत्व' जैसे लेख बहुत रोचक एवं पठनीय हैं। पत्रिका के कुशल संपादन के लिए आपको साधुवाद एवं सहयोगियों को बहुत-बहुत बधाई।

निरंजन रथ
अंचल प्रबंधक
यूको बैंक, नई दिल्ली-110001

आदरणीय संपादक महोदय,

गृह-पत्रिका अंकुर का सितंबर 2015 अंक मिला। आवरण-पृष्ठ पर दृष्टि डालने से ही यह प्रतीत होता है कि पत्रिका अपनी उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। महिला सशक्तिकरण, प्रादेशिक भाषाएं व विश्व हिंदी सम्मेलन को संजोए हुए आवरण-पृष्ठ अनूठा जान पड़ता है। पत्रिका में विभिन्न छायाचित्र बैंक की गतिविधियों व उपलब्धियों को दर्शाते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा दिया गया संदेश प्रेरणास्पद है। पत्रिका में बैंकिंग विषयों के लेखों के साथ-साथ अन्य लेखों को भी पर्याप्त स्थान दिया गया है, जिससे बैंकिंग व साहित्यिक लेख दोनों को गतिशीलता मिल सकी है। हाल ही में प्रारंभ किया गया ''कार्टून-कोना'' व ''ज़रा सोचिए'' पत्रिका का स्तर उत्कृष्ट बना रहे हैं। यह देखकर प्रसन्नता हुई कि पत्रिका के इस अंक के अधिकतर लेख राजभाषा अधिकारियों द्वारा लिखित हैं। हम आशा करते हैं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में गृह-पत्रिका 'अंकुर' नित नई ऊंचाइयों को छूती रहे।

डी.एस.ग्रोवर
आंचलिक प्रबंधक, भोपाल

पंजाब एंड सिंध बैंक राजभाषा विभाग नई दिल्ली के अथक प्रयासों द्वारा प्रकाशित की जा रही पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' का सितंबर 2015 अंक प्राप्त हुआ । पत्रिका का कवर नवीनता लिए हुए अति सुंदर लगा। यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि पत्रिका में प्रादेशिक भाषाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और साथ ही उसके हिंदी अनुवाद में इसे समझना और भी सरल बना दिया है। इसके लिए राजभाषा विभाग तथा प्रादेशिक भाषा के लेखक एवं स्वयं ही अनुवादक श्री दीपक साव बधाई के पात्र हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेख 'बैंक की आशा - बढ़े कासा' न केवल जानकारीपरक है बल्कि लेखक ने बड़ी ही सरलता से इसे समझाने में भी सफलता प्राप्त की है। अन्य लेखों, कहानियों, कविताओं आदि का संपादन भी बड़ी ही कुशलता से किया गया है। इसके अतिरिक्त पृष्ठों के फुटनोट पर दिए गए सूक्ति वाक्य भी अत्यंत प्रेरक हैं।

इस सफल प्रकाशन के लिए संपादक मंडल बधाई का पात्र है।

शुभकामनाओं सहित।

एच. पी. एस. बत्रा
आंचलिक प्रबंधक
अमृतसर

संपादकीय

प्रिय पाठकों,

जब यह अंक आपको प्राप्त होगा, तब शिशिर ऋतु की सुनहरी धूप के साथ नववर्ष 2016 आपका स्वागत कर चुका होगा। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तथा राजभाषा विभाग की ओर से नव वर्ष की बहुत-बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं। नए वर्ष के आगमन के साथ राजभाषा अंकुर पत्रिका भी अपने हर अंक के साथ नित नई ऊंचाइयों छू रही है। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हमारी पत्रिका ''राजभाषा अंकुर'' को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके लिए न केवल राजभाषा विभाग बल्कि आप सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चय ही यह पत्रिका के प्रति आप सभी के प्रेम और सहयोग से ही संभव हो पाया है। बैंक के सभी भाषा-भाषी पत्रिका से जुड़ते जा रहे हैं जिससे पत्रिका का कलेवर भी विस्तृत होता जा रहा है। पत्रिका में जुड़े नए स्तंभ 'ज़रा सोचिए' तथा 'कार्टून कोना' के लिए प्रविष्टियों का प्राप्त होना तथा क्षेत्रीय भाषा-भाषी बैंक कार्मिकों की बढ़-चढ़कर सहभागिता हमारी पत्रिका को भाषिक एकता सूत्र में संजोकर और अधिक रुचिकर तथा पठनीय बना रही है। पत्रिका के इस गौरव को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आपकी सहभागिता ही हमारी सफलता का मूलभूत आधार रहेगी।

पत्रिका के प्रस्तुत अंक में राजभाषा हिंदी तथा बैंकिंग से संबंधित लेखों के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रारंभ की गई ''प्रधानमंत्री जन-धन योजना में हमारे बैंक की सहभागिता'' से संबंधित श्री हर्षवीर सिंह, बैंक सलाहकार एवं पूर्व महाप्रबंधक का लेख अत्यंत ज्ञानवर्धक है। आज संपूर्ण विश्व प्रदूषण की समस्या से जूझ रहा है। इस विषय पर वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) - डॉ. वेद प्रकाश दुबे जी का लेख ''वन नहीं रहेंगे तो दर्द की राहें फूटेंगी'', पर्यावरण में वनों की भूमिका को बखूबी दर्शाता है। सुश्री यशोदा मुर्मु द्वारा रचित संथाली कविता (हिंदी अनुवाद सहित) पत्रिका का विशेष आकर्षण है।

आशा है कि बैंकिंग एवं साहित्यिक विविधताओं से परिपूर्ण ''राजभाषा अंकुर'' का यह अंक भी आपको पसंद आएगा। पत्रिका के बारे में अपनी राय हमें अवश्य भेजें, ताकि हम अपनी पत्रिका को अपने पाठकों की रुचि तथा आवश्यकतानुसार ढाल सकें।

दीन दयाल शर्मा

(दीन दयाल शर्मा)
महाप्रबंधक (राजभाषा)

प्रधानमंत्री जन-धन योजना और हमारा बैंक

-: हर्षवीर सिंह :-

यह एक ज्ञात तथ्य है कि भारत में जनसंख्या के एक भाग को सभी प्रकार कि बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं किन्तु निम्न आय समूह का एक अन्य भाग मूलभूत वित्तीय सेवाओं से भी वंचित है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खातों को जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज

- यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज़ आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्व-प्रमाणन पर्याप्त है।
- यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेज़ों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगी:- मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये "पहचान तथा पते का प्रमाण" दोनों का कार्य कर सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त वर्णित "वैध सरकारी कागजात" नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा 'कम जोखिम' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है।
- केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान-पत्र।
- उक्त व्यक्ति के विधिवत् सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।

इस योजना से जुड़े विशेष लाभ निम्नानुसार हैं जो मूल रूप से गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

- **बैंकिंग सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता :** प्रत्येक जिले को उप सेवा क्षेत्र के रूप में संगठित किया गया है ताकि एक उप सेवा क्षेत्र द्वारा 1000-1500 परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रत्येक निवासी को पाँच कि.मी. की उचित दूरी के भीतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हों।
- **जीवन बीमा और आकस्मिक बीमा सुविधा :** प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत 16.8.14 से 31.11.15 तक पहली बार खोले गए खातों में खाता धारकों को 30,000/- रुपये की न्यूनतम राशि का जीवन बीमा दिया जाएगा। इसके साथ 1 लाख का एक्सीडेंटल बीमा दिया जाएगा।
- **लोन सुविधा :** गरीबों को आपत्ति के समय पैसे के लिए साहूकार पर निर्भर होना पड़ता है जिस कारण साहूकार उनकी बेबसी का फायदा उठाकर उनसे मनचाहा ब्याज लेते हैं और गरीब उस कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता। लेकिन प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाताधारी खाता खोलने के एक महीने के बाद 5,000/- तक की राशि ऋण के तौर पर सीधे बैंक से ले सकता है। जिससे गरीबों में आत्म निर्भरता का भाव जागता है।
- **जीरो बैलेंस सुविधा :** अन्य बचत खाते के लिए खाताधारी को कुछ न्यूनतम राशि बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होता है यह राशि खाताधारी की ही होती है। पर गरीबों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाते बिना किसी राशि के खोले जा रहे हैं जिन्हें जीरो बैलेंस सुविधा कहा जाता है।

- **रुपे कार्ड सुविधा :** अन्य एटीएम कार्ड के समान ही प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाताधारी को रुपे कार्ड की सुविधा दी जा रही है यह रुपे कार्ड अन्य एटीएम की तरह ही काम करता है। रुपे कार्ड के जरिए खाताधारक किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से रुपये निकाल सकता है।

- **मोबाइल सुविधा :** अन्य खातों की तरह ही प्रधानमंत्री जन-धन योजना के खाते की सभी जानकारी मोबाइल पर मैसेज के जरिए प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए महंगे एंड्राइड फोन की आवश्यकता नहीं है यह सुविधा साधारण मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

- **न्यूनतम आयु :** प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत खाता 10 वर्ष से कम आयु का बालक-बालिका द्वारा भी खोला जा सकता है जिसकी देख-रेख उनके माता-पिता कर सकते हैं।

- **स्माल अकाउंट अथवा छोटा खाता :** किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए एक उचित परिचय पत्र अनिवार्य होता है लेकिन अगर किसी के पास यह नहीं है तो वह प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत अपना खाता खोल सकता है जिसे कम जोखिम खाता की गिनती में रखा जाता है और इसे स्माल अकाउंट कहा जाता है जिसे एक वर्ष की अवधि तक सुचारू रखा जाएगा इस एक वर्ष में खाताधारी को कोई उचित परिचय पत्र बैंक में जमा करना होगा।

- **खाता टाइप बदलना :** अगर किसी का पहले से किसी भी बैंक में खाता है तो वह अपने खाते को प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत हस्तांतरण करवा सकता है जिससे वो प्रधानमंत्री जन-धन योजना के सारे लाभ उठा सके।

- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम :** लाभार्थियों को उपलब्ध सेवाओं का बेहतर उपयोग करने के लिए इस मिशन का एक अभिन्न भाग वित्तीय साक्षरता है।

- **ऋण गारंटी निधि का सृजन :** ओवरड्राफ्ट खातों में चूक को कवर करने के लिए एक ऋण गारंटी निधि का भी प्रावधान किया गया है।

वित्तीय समावेशन में प्रौद्योगिकी की भूमिका

बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय समावेशन लोकप्रिय नव-प्रयोग है। वहनीय स्तर पर लागतों को कम करने तथा देश के सुदूर/सबसे किनारे वाले छोर तक पहुंच में सुधार करने के लिए केवल एक उपाय प्रौद्योगिकी का प्रभावी रूप से उपयोग करना है।

- **इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपने ग्राहक को जानिए (ई-केवाईसी) :** इस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राहक की पूर्ण सहमति के तहत

यूआईडीएआई डेटाबेस से उसके बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के उपरांत व्यक्ति के नाम, आयु, लिंग तथा तस्वीर को बैंकों जैसे प्राधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपयोग करना केवाईसी के लिए एक वैध प्रक्रिया है।

- **मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से लेन-देन :** अभिदाता धन के आहरण/जमा हेतु मोबाइल नेटवर्क के रिटेलर से संपर्क कर सकता है तथा एसएमएस संदेशों का उपयोग करते हुए लेन-देन हो जाता है मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से विभिन्न बैंकिंग सेवाएँ - जैसे कि निधि अंतरण, तत्काल भुगतान सेवा, पूछताछ सेवा, डीमैट खाता सेवा, चेक बुक के लिए अनुरोध, बिल भुगतान इत्यादि की सुविधा प्राप्त की जा सकती है। मोबाइल बैंकिंग के लिए लेन-देन की सीमाएं हैं तथा ये सेवाएँ निःशुल्क हैं। इसमें मोबाइल आधारित पिन (पीआइएन) प्रणाली के माध्यम से बैंक खातों से मूलभूत वित्तीय लेन-देन किए जा सकते हैं।

- **सूक्ष्म-एटीएम :** सूक्ष्म-एटीएम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सक्षम हस्त चलित उपकरण है। ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एटीएम को व्यवहार्य बनाने हेतु कम दाम वाले सूक्ष्म-एटीएम प्रत्येक बैंक मित्र को प्रदान किए गए हैं। यह किसी व्यक्ति को किसी विशेष बैंक मित्र से संबंधित बैंक को दरकिनार करते हुए तत्काल राशि जमा करने अथवा निकालने के लिए सक्षम करवाता है। यह उपकरण मोबाइल फोन कनेक्शन पर आधारित होता है। सूक्ष्म -एटीएम के पास ग्राहकों के प्रमाणीकरण के विभिन्न विकल्प हैं जैसे :- बायोमेट्रिक, पीआईएन आधारित आदि और यह ग्राहकों को उनके घर के नजदीक लेन-देन करने में सक्षम बनाने के लिए मोबाइल एटीएम के रूप में भी प्रयोग होता है।

- **यूएसएसडी प्लेटफॉर्म :** इसके अंतर्गत ग्राहक फोन की कंपनी और मॉडल का विचार किए बिना एप्लिकेशन जीएसएम नेटवर्क पर किसी भी मोबाइल फोन के माध्यम से यूएसएसडी सोल्यूशन का लाभ उठा सकते हैं। इसमें किसी भी एप्लिकेशन को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं होती और न ही जीपीआरएस सम्पर्क की और यह एसएमएस चैनल के मुकाबले अधिक सुरक्षित है। *99# का प्रयोग करके ग्राहक वित्तीय सेवा जैसे निधि अंतरण और गैर वित्तीय सेवा जैसे बैलेंस पूछताछ और बैंक खाते का सूक्ष्म विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इस ढांचे के अंतर्गत प्रयोक्ता अपने आधार से जुड़ने की स्थिति के बारे में जान सकते हैं।

- **रुपे डेबिट कार्ड :** रूपे एक नई कार्ड योजना है जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान कार्पोरेशन द्वारा प्रारंभ की गई है जो कि भारत में सभी भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में घरेलू, ओपेन लूप, बहुपक्षीय प्रणाली प्रदान करने हेतु शामिल करता है।

- **आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) :** एईपीएस एक बैंकिंग उत्पाद है जो पीओएस (सूक्ष्म एटीएम) या किओस्क बैंकिंग में किसी भी बैंक के बैंक मित्र के द्वारा आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से अंतर्प्रचालन योग्य वित्तीय समावेशन संव्यवहार की अनुमति देता है। वर्तमान में 4 बुनियादी प्रकार के आधार समर्थित बैंकिंग संव्यवहार उपलब्ध हैं।

  i. शेष पूछताछ

  ii. धन निकासी

  iii. धन जमा

  iv. आधार से आधार में निधि का अंतरण

  ग्राहक द्वारा एईपीएस संव्यवहार शुरू करने के लिए बैंक का नाम तथा आधार संख्या अपेक्षित है।

- **आधार भुगतान योजना प्रणाली (एपीबीएस) :** किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण तथा डीबीटी-डीबीटीएल भुगतान भेजने वाले सरकारी विभाग या संस्थाओं को केवल आधार संख्या तथा राशि युक्त फाइल तैयार करके उसे अपने प्रत्याशित बैंक में जमा करनी होती है। इसके उपरांत प्रत्याशित बैंक इस फाइल पर अंतर्प्रचालन योग्य आधार भुगतान योजना के माध्यम से कार्यवाही करता है तथा लाभार्थियों के खाते में निधि जमा हो जाती है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के कार्यान्वयन में अभिचिह्नित चुनौतियाँ

- **टेलीकाम कनेक्टिविटी :** देश के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में टेलीकॉम नेटवर्क विश्वसनीय नहीं है और इसलिए इन क्षेत्रों में बैंक मित्र नियुक्त करना और बैंक खाता खोला जाना सुनिश्चित करना कठिन है।

- **खातों को सक्रिय रखना :** यह आवश्यक है कि सरकारी लाभ (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, मनरेगा, एलपीजी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) इन खातों के माध्यम से दिए जाएं ताकि खाते निष्क्रिय न हो जाए।

- **योजनाओं की जानकारी एवं जागरूकता :** मूल बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिए बैंक मित्र मॉडल की जानकारी और बैंक मित्र आउटलेट पर उपलब्ध बैंकिंग उत्पाद और रुपे कार्ड की भी जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्राहकों को इस बात के लिए जागरूक बनाया जाए कि उनके खातों में उपलब्ध कराए गए 5,000/- रुपए के ओवरड्राफ्ट की ऋण सुविधा है कोई अनुदान नहीं है।

- **बैंकों को कमीशन :** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के अंतर्गत भुगतानों के लिए बैंकों को कमीशन देने का प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना

मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल, 2015 को घोषित की गई है मुद्रा बैंक वैधानिक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है जिसमें कुटीर उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बैंक की होगी। मुद्रा योजना का अर्थ है *माइक्रोयूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी* जिसे MUDRA कहा गया। छोटे अर्थ में मुद्रा मतलब धन से है यानी इस योजना का मुख्य बिंदु है कुटीर उद्योगों को धन की सहायता।

2015-16 के बजट में वित्त मंत्री ने मुद्रा बैंक और क्रेडिट गारंटी निधि के लिए क्रमशः 20000/- करोड़ रु. के पुनर्वित्त तथा 3000/- करोड़ रु. के कोष बनाए जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया। अरुण जेटली जी ने स्पष्ट किया कि मुद्रा योजना एक सही तरीका है जरूरत मंदों के लिए वित्तीय मदद का "Funding the unfunded"। यह "माइक्रोफाइनेंस संस्थाओं (एमएफआई) छोटे उद्योगों के लिए एक नियामक के रूप में कार्य करेगा।

मुद्रा बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य

मुद्रा बैंक योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योगों को साहूकारों की सूदखोरी से बचाना है। इस योजना के तहत कुटीर उद्योगपति आसानी से बैंक से लोन ले सकेंगे।

- मुद्रा योजना के तहत उद्योग संबंधी प्रशिक्षण एवं व्यापार की छोटी छोटी बातें भी बताई जाएंगी, जिससे उद्योगपति अपने व्यापार को बढ़ा सकें।
- मुद्रा बैंक योजना का अहम कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में स्पष्ट किया उन्होंने कहा बड़े उद्योग सवा करोड़ जनता को रोजगार देते हैं बल्कि छोटे लघु उद्योग बारह करोड़ जनता को रोजगार देते हैं। अगर ऐसे लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता दी जाए तब ये उन्नति करेंगे जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस दिशा में मोदी ने गुजरात का उदाहरण दिया। गुजरात में पतंग व्यापार को थोड़ी मदद देने से वह व्यापार पाँच सौ करोड़ से पैंतीस सौ करोड़ तक पहुँच गया।

मुद्रा बैंक योजना का लक्ष्य

छोटे कुटीर उद्योगों को बैंक से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती वे बैंक के नियमों को पूरा नहीं कर पाते इस कारण वे उद्योगों को बढ़ाने में असमर्थ होते है इसलिए मुद्रा बैंक योजना शुरू की जा रही है जिसका मुख्य लक्ष्य युवा, पढ़े लिखे नौजवानों के हुनर को मजबूत धरातल देना है साथ ही महिलाओं को भी सशक्त बनाना है।

मुद्रा बैंक योजना की पात्रता

मुद्रा बैंक योजना के तहत हर वो व्यक्ति, जिसके नाम कोई कुटीर उद्योग है या किसी के साथ पार्टनरशिप के सही दस्तावेज हो या कोई छोटी सी लघु यूनिट हो, वे इस मुद्रा बैंक योजना के तहत ऋण ले सकते हैं।

मुद्रा बैंक योजना के तहत लोन/ऋण का प्रावधान

मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों एवं दुकानदारों को ऋण की सुविधा तीन चरणों में दी गई है।

- **शिशु ऋण योजना :** कुटीर उद्योग की शुरुआत के समय मुद्रा बैंक के तहत पचास हजार के ऋण का प्रावधान है।
- **किशोर ऋण योजना :** इसमें ऋण की राशि पचास हजार से पाँच लाख तक की जा सकती है।
- **तरुण ऋण योजना :** इसमें पाँच से दस लाख तक का ऋण लिया जा सकता है।

मुद्रा बैंक योजना के लाभ

इस योजना के कारण छोटे व्यापारियों का हौसला बढ़ेगा जिससे देश का आर्थिक विकास होगा।

- इस योजना के कारण पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा और उनका हुनर भी निखर कर सामने आएगा।
- बड़े उद्योग केवल सवा करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं लेकिन कुटीर उद्योग 12 करोड़ लोगों को।
- ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देने से देश का पैसा देश में ही रहेगा और आर्थिक विकास होगा।
- नई-नई गतिविधियों का संचार होगा।
- छोटे व्यापारियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न होगी जो कि उनकी उन्नति में सहायक होगा।
- देश का विकास अमीरों के विकास से नहीं अपितु गरीबों के विकास से होता है अतः इस दिशा में मुद्रा बैंक योजना एक अहम फैसला है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना में हमारे बैंक का सहयोग

हमारे बैंक द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना का महत्व इसी बात से पता चलता है कि बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री जतिंदरबीर सिंह, (आई.ए.एस.) ने हाल ही में अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों के बैंक मित्र स्थलों का स्वयं दौरा किया। इसके अतिरिक्त बैंक के उच्च प्रबंध तन्त्र द्वारा भी इन कार्यों में व्यक्तिगत रुचि ली जा रही है। इसी क्रम में बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा भी जालंधर के दयालपुर गाँव का दौरा किया गया।

इसके अतिरिक्त महाप्रबंधक श्री दीपक कुमार सैनी द्वारा पंजाब तथा हरियाणा के बैंक मित्र स्थलों का तथा सलाहकार श्री हरबीर सिंह द्वारा उत्तरप्रदेश के बरेली तथा उन्नाव तथा पंजाब के फरीदकोट, मोगा, लुधियाना, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, फतेहगढ़ साहिब, कुराली,

मोहाली तथा मेरठ के बैंक मित्र स्थलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

प्रगति रिपोर्ट (प्रधानमंत्री जन-धन योजना 31.12.2015 के अनुसार खोले गए खाते)

	कुल (सभी आंकड़े करोड़ में)	हमारे बैंक द्वारा सभी आँकड़े करोड़ में)
ग्रामीण	12.02	0.0849
शहरी	7.70	0.0426
कुल	19.72	0.1275
रुपे कार्ड की संख्या	16.80	0.1268
आधार सीडेड का %	42.59	54.03%
खाते में शेष	28699.65	430.52
शून्य शेष खाते का %	32.48	2.57%

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत विशेष उपलब्धियाँ

- हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (सतलुज ग्रामीण बैंक) के 100% बीसीए ने आईआईबीएफ द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है जबकि हमारे बैंक के 98% बीसीए इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं।
- हमारे बैंक के कुल शून्य शेष खाते 2.57% हैं जो कि सभी बैंकों में सबसे कम है। हमारे बैंक की 488 शाखाओं में कोई भी खाता शून्य शेष का नहीं है।

- हमारे सभी सूक्ष्म एटीएम आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) और रुपे कार्ड भुगतान करने हेतु सक्षम हैं।
- बैंक स्वचालन के माध्यम से पीएमजेडीवाई ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया में है।
- प्रत्येक तिमाही में बैंक ने 10 सबसे अच्छे काम करने वाले बीसीए को 1100/- रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र देने की प्रक्रिया शुरू की है।
- हम अपने सभी 368 बीसीए को हर महीने 5000/- रुपए का पारिश्रमिक भुगतान कर रहे हैं। इसके साथ यात्रा खर्च और कमीशन (प्रदर्शन के हिसाब से) भी उन्हें प्रदान किया जाता है। बीसीए को सावधि जमा, आवर्ती जमा, चालू खाते, केसीसी, जीसीसी, गैर निष्पादित परिसंपत्ति और बीमा योजना लाने के लिए कमीशन का भुगतान किया जा रहा है।
- बैंक ने वित्तीय समावेशन के लिए आवंटित गाँव में वित्तीय साक्षरता शिविरों का अभियान शुरू कर दिया है। वित्तीय साक्षरता सामग्री स्थानीय भाषा में बैंक प्रबंधकों, बीसीए, और वित्तीय साक्षरता काउंसिलिंग केंद्र के लिए उपलब्ध है। 277 गाँवों और 13000 ग्रामीण की कुल आबादी को शिविर मोड के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्रदान किया गया है। हमारे बैंक की 3 जिले यानि लुधियाना, मोगा और फरीदकोट में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी है। जिला लुधियाना में वित्तीय समावेशन के तहत सभी गाँवों में 135 वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया है। हमने फरीदकोट के सभी गाँवों को 54 वित्तीय साक्षरता शिविरों के आयोजन द्वारा कवर कर लिया है। जालंधर जिले के 11 गाँवों को भी कवर किया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 91 गाँवों में से 79 गाँवों को कवर कर लिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शेष गाँवों को 31.12.2015 तक कवर कर लिया जाएगा।

हमारा उद्देश्य है : सेवा ही जीवन का ध्येय है।

(पूर्व महाप्रबंधक और बैंक के सलाहकार)

हमें इन पर गर्व है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की हॉकी टीम ने 52वाँ नेहरू सीनियर हॉकी टूर्नामेंट जीता

विजेता टीम के साथ
श्री जतिंदरबीर सिंह, आई.ए.एस.,
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय तथा
बैंक के उच्चाधिकारीगण।

राजभाषा शील्डें

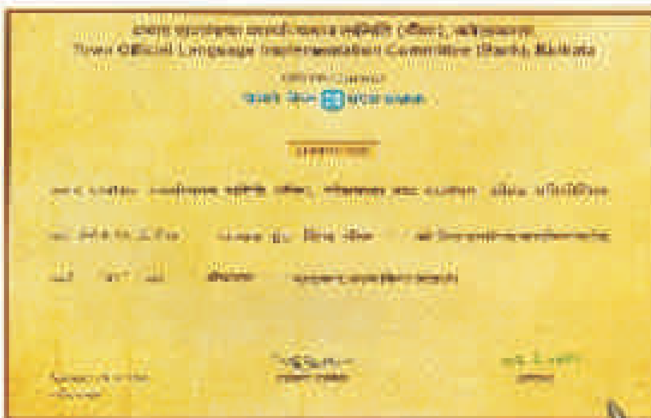
Town Official Language Implementation Committee (Bank), Kolkata

वर्ष 2014-15 के लिए 'ख' क्षेत्र की राजभाषा शील्ड, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कर-कमलों से प्राप्त करते हुए आंचलिक प्रबंधक, चंडीगढ़ श्री टी. पी. एस. वालिया। चित्र में राजभाषा अधिकारी सुश्री मधु रानी, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्रीमती इंदरपाल कौर तथा राजभाषा प्रबंधक डॉ. परमजीत कौर भी दिखाई दे रही हैं।

हमारी पटना शाखा को वर्ष 2014-15 हेतु नराकास शील्ड प्राप्त हुई

वन नहीं रहेंगे तो दर्द की राहें फूटेंगी

-: डा. वेद प्रकाश दूबे :-

वनों के विनाश का दर्द स्वयं वन ही जानता है या फिर वो, जो अपने भीतर वृक्षों के दर्द को महसूस करता है। मनुष्य ने सोचा कि ये पेड़-पौधे, वृक्ष, वन्यपशु, इन्हें समाप्त करो और खेती के लिए जमीन बनाओ और उसने ऐसा ही किया भी। मगर वो भूल गया कि जंगल का अभाव मनुष्य की जिंदगी का अभाव है। एक ऐसा दर्द है जिससे जंगल के अलावा कोई भी मुक्ति नहीं दिला सकता है। अपनी गलतफहमी और शक्ति के मद में चूर होकर इंसान ने जंगलों को काटा तथा वन-विनाश किया। परंतु इस प्रक्रिया के पीछे इंसान ने अपने लिए ऐसी खाइयां खोद डालीं जिनमें गिरकर आज वो बेबस तड़प रहा है।

वन, वृक्ष यानी एक बेहतर पर्यावरण और साफ-सुथरी जैविक व्यवस्था, जिसे बढ़ते औद्योगिक, शहरीकरण तथा इंसानी लालच ने खोखला बनाने की दिशा में कोई कसर नहीं रख छोड़ी है। यही वजह है कि आज पर्याप्त वनों के न होने से कई हानियां समूची मनुष्य जाति को हो रही हैं। अज्ञानता तथा पहचान के अभाव में मनुष्य ने वन-विनाश के साथ-साथ अपना ही नुकसान किया है।

वन मनुष्य को 50 प्रतिशत जीवनरक्षक औषधियां देने में सक्षम हैं। वन स्वयं में एक बहुत बड़ा वैद्य है, डॉक्टर है। वनों के भीतर रहने वाले पशु-पक्षी, कीट-पतंगे तक स्वयं अपनी चिकित्सा कर लेते हैं। कोई आदमी तो उनका इलाज करने नहीं आता है। प्रकृति का यह वरदान आयुर्वेद के रूप में मनुष्य के पास है। मगर यह तभी तक कारगर है जब तक वन का अस्तित्व है, क्योंकि जड़ी-बूटियां हमारे बनाए मैदानों या सड़कों पर नहीं मिलेंगी। वह तो वनों के उन्मुक्त वातावरण में ही मिल सकती हैं। परंतु अज्ञानतावश या मूर्खतावश धरती की गोद में पल रही तमाम उपयोगी वृक्ष जातियों, पेड़-पौधों की प्रजातियों को मनुष्य ने नष्ट कर डाला। वह तो सर्वसुलभ सस्ती एवं प्रभावी प्राकृतिक चिकित्सा थी, जो मनुष्य ने नष्ट कर डाली। इस चिकित्सीय प्राकृतिक वरदान अर्थात् जंगल को समाप्त करने के साथ आदमी ने स्वयं के स्वास्थ्य को भी चोट पहुंचाकर दुःख तथा दर्द को निमंत्रण दिया है। आज कई नई बिमारियां, औषधियों, जड़ी-बूटियों और दुर्लभ पेड़-पौधों के नाश के कारण उत्पन्न हुई हैं। यह मनुष्यता की सबसे बड़ी हानि है।

प्रत्येक अस्तित्व को किसी न किसी वातावरण में रहना पड़ता है। तो ऐसे में वातावरण की शुद्धता बेहद आवश्यक हो जाती है। वातावरण की पवित्रता और शुद्धता मनुष्य को एक ठोस धरातल प्रदान करती है।

अगर वातावरण के दामन में ही सैकड़ों छेद हो जाएंगे तो भला उसमें रहने वाले सभी प्राणी प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकते हैं।

पर्यावरण में वनों का वातावरण से और इंसान से बेहद गहरा नाता है। वातावरण की गति, धड़कन और लय जंगल की धड़कन और गति से जुड़ी है। पर्यावरण का गहरा असर मनुष्य पर पड़ता है। हवा, पानी, जमीन, वन्य-पशु, आसमान, आदमी सभी पर्यावरण से जुड़े सदस्य हैं। जंगल पर्यावरण से अलग नहीं है बल्कि वन समूचे पर्यावरण को गति तथा लय प्रदान करता है। परंतु वृक्षों के विनाश ने मनुष्य के इस निर्मम प्रहार के और घृणित रूप को देखकर मौसम तथा हवाओं की शक्ल में पर्यावरण के साथ मिलकर आदमी से अच्छा खासा विद्रोह कर दिया है। आज कई वृक्षों, पेड़-पौधों के न होने से कई गंभीर समस्याएं हमारे सामने हैं।

एक समय था जब इस देश में सब तरफ खुशहाली थी। हिमालय की छत्रछाया के तले काश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हमारा देश हरे-भरे देश की तरह था। हरियाली के गीत और किस्से हमारी

धड़कनों में सुनाई पड़ते थे और आज भी कभी-कभी उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। हरे-भरे जंगल मनुष्य को एक मधुर एवं मनोहर वातावरण प्रदान करते थे, जिनकी गोद में प्यारे और भोले-भाले वन्य पशु-पक्षी निवास करते थे। परंतु कुछ गुलामी, कुछ अज्ञानता तथा कुछ लालसा व मनुष्य की मूढ़ता ने इस समूची हरी-भरी वादी में दर्द का ऐसा सुर छेड़ दिया है, जिसकी गूंज आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक दर्द भरे स्वर में सुनाई पड़ रही है।

बेचारे वन्य पशु-पक्षी भला किसी का क्या बिगाड़ते हैं। क्यों इंसान बेरहमी से इन्हें मारता है। जंगलों के न होने से हमारे वन्य पशुओं, प्राणियों पर गहरा संकट आता है और आज जंगलों के न होने से हमारे देश में वन्य पशुओं की नस्लें भी बिगड़ रही हैं। तेजी से घटती हुई वन्य पशुओं तथा पक्षियों की संख्या ने मानवीय दर्द के नये आयामों को छुआ है। कुछ शाकाहारी, कुछ मांसाहारी पशु, पक्षी प्रकृति ने बनाएं हैं। दोनों ही वर्गों के लिए भोजन-चारे का प्रबंध जंगल में घास, फल, कीट-पतंगों, जानवरों के रूप में प्रकृति ने किया है।

वनों के विनाश से इन निरीह प्राणियों की पूरी जीवन-व्यवस्था को ही पंगु बना दिया है। आज कई वन्य पशु बेहद सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। घड़ियाल, सफेद शेर, सींग वाला गेंडा, बाघ आदि आज पूरी संख्या में कहां हैं। क्या यह हमारी राष्ट्रीय हानि नहीं है?

प्रकृति की इस देन को मनुष्य ने नष्ट किया है। इसलिए हमें और आपको अगर अपने साथ होने वाले विनाश को रोकना है तो हमें वृक्षों को बचाना होगा और बढ़ाना होगा। तभी हम एक अच्छा प्राकृतिक वातावरण बना पाने में सफल हो पाएंगे। वृक्ष वायुमंडल से कार्बन-डाइऑक्साइड का शोषण तो करते ही हैं, साथ ही साथ वृक्षों के द्वारा छोड़ी जाने वाली ऑक्सीजन इस वायुमंडल, इंसानों और वन्य प्राणियों, जलचर प्राणियों के लिए जीवनदाता प्राण वायु है। जब यही नहीं है तो प्राणशक्ति नहीं है।

वृक्षों के निरंतर ह्रास ने धरती मां की गोद ही उजाड़ी है। कुछ स्वार्थ, कुछ लालच और खेती की पैदावार बढ़ाने में मनुष्य भूल ही गया है कि वृक्षों का अस्तित्व अगर नहीं रहेगा तो दूसरी बड़ी समस्याएं उठ खड़ी होंगी। यही कारण है कि आज भूमि-कटाव अपनी सीमाएं बढ़ाता जा रहा है। रेगिस्तान बढ़ रहा है और वन्य परिवार के सदस्य पशुओं की भूख उनका दम तोड़ रही है।

यह मनुष्य की कुचेष्टाओं का ही नतीजा है कि भारतवर्ष की एक तिहाई हिस्सा भूमि परती भूमि बन गई है और बंजर की शक्ल में तब्दील हो गई है। जो धरती का सीना चीर रहा है।

भूमि का बढ़ता हुआ बंजरपन और परतीपन पर्यावरण को बेहद गहरी चोट तो पहुंचा ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ आदमी भी अपनी अज्ञानता में धरती के उपजाऊपन और उर्वरता को नष्ट करता जा रहा है। यह ठीक है कि आदमी की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं मगर आवश्यकताओं के अनुरूप बढ़ता भूमि-उपयोग विनाश की शक्ल में बदलकर अब भूमि को बंजर कर रहा है।

यही नहीं प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ अपने वेग में जबरदस्त ध्वंस करती है। और जानते हो यह कोई भगवान का प्रकोप नहीं है, बल्कि इंसान की ही की गई कारगुजारी का एक नतीजा है।

बाढ़ जब-जब अपनी लीला दिखाती है, तब-तब लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, मवेशी बेबस लाचार जिंदा ही डूब जाते हैं, बह जाते हैं। फसलें नष्ट हो जाती हैं। जीवन की तत्कालीन व्यवस्था भंग हो जाती है। भूमि कटाव होता है। व्यक्ति, समाज, देश तीनों को जबर्दस्त हानि होती है। इसका मूल कारण है वनस्पति का अंधाधुंध कटाव और विनाश, क्योंकि जब-जब भूमि पर से वृक्षों का साया हट जाता है तो वहां की मिट्टी वर्षा के पानी के संग बहकर नदियों के पानी में मिल जाती है और उसकी तलहटी में बैठकर उसे ऊंचा करती रहती है। फिर जब वर्षा का पानी बहने लगता है तो पानी को इकट्ठा करने की क्षमता पहले से ही कम होती है।

यही कारण है कि पानी, नदी के किनारे तोड़कर अपने पांव पसारता हुआ जहां जगह मिलती है, बढ़ता है और तुम तो जानते ही हो कि पानी का आगे बढ़ना, खुद में जहां जीवन की गति का सूचक है, वहीं दूसरी ओर वही पानी विनाश का बहुत बड़ा कारण भी बन जाता है। जब पानी नदी में अपनी जगह नहीं पाता तो वो गुस्सा होकर, जहां तक उसकी नज़र जाती है, आसपास के क्षेत्रों, गांवों, नगरों तक को जलमग्न कर देता है तथा आदमी को अपनी शक्ति और गुस्से का

अहसास दिलाता है।

आज समूचे भारतवर्ष में 5.9 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़-ग्रस्त है जबकि कुछ समय पूर्व यह 2 करोड़ हेक्टेयर था। यह जो 3.9 करोड़ क्षेत्र बाढ़ की चपेट में है, इसका मूल कारण वनों का विनाश ही है और भूमि का कटाव है, जिसका जिम्मेदार हर एक समाज का सदस्य है। क्योंकि समाज के प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेदारी है कि वो इस विनाश को रोकने के लिए कुछ न कुछ सार्थक प्रयास जरूर करे। वरना यह बाढ़ का क्षेत्रफल अगर बढ़ता ही जायेगा तो धीरे-धीरे नगर भी पूरी तरह प्रभावित होंगे, क्योंकि जल के आवेग को कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रकृति से बड़ी कोई शक्ति है भी नहीं।

बाढ़ की मार से तो आदमी टूटता ही है, वहीं इससे भी दर्दनाक, इंसानी शत्रु सूखे की बात आते ही हमारी आंखों के सामने अकाल, भूख, अनाथ की शक्ल में खाली पड़े खेत और मरे पशुओं के कंकाल और वीराने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। सूखा बंजरपन की ही संतान है, जो आदमी को सुखाकर मार डालती है मगर तिल-तिलकर कतरों में बंटकर आदमी सूख-सूख कर मरता है। साथ में पेड़-पौधे, पशु-पक्षी और मौसम भी मरते हैं।

यह जबरदस्त प्राकृतिक विनाश है, जो प्रकृति की पुकार को अनदेखा करने से इंसान के सामने आया है। क्योंकि जैसे जमीन परती और बंजर होती जाती है, वर्षा भी वहां से मुंह चुराने लगती है और जब वर्षा नहीं तो समझो प्रकृति का आशीर्वाद समाप्त है। वहां कुछ उग नहीं सकता है। आज पूरे भारत में 35 प्रतिशत भाग सूखा ग्रस्त क्षेत्र है।

कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां एक ओर आदमी की संख्या बढ़ती जा रही है, वहीं जमीन की कोख भी सूखती जा रही है। यह समीकरण बराबर गलत बन रहा है। आदमी अगर अपनी इस गलती को नहीं सुधारेगा तो फिर एक दिन बहुत देर हो चुकी होगी, फिर यह समीकरण ही, इसका अंतराल ही आदमी को समाप्त कर देगा। आज समूचे देश में प्रतिवर्ष 133 करोड़ टन ईंधन की लकड़ी रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए चाहिए। साथ ही साथ चारा भी 70 करोड़ टन चाहिये। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ईंधन की लकड़ी हमें सिर्फ 3.9 करोड़ टन ही मिल पाती है तथा चारा वार्षिक रूप से 54 करोड़ टन ही मिल पाता है।

कहा जाता है कि भारत की 75 प्रतिशत आबादी गांवों में ही बसती है। और गांवों से कटकर शहरों का भी पूरा अस्तित्व बौना हो जाता है। आज गांवों में ईंधन और चारे की गंभीर समस्या है। आपको यह जानकर और भी दुःख होगा कि आज के आधुनिक कंप्यूटर की बात करने वाले भारत के गांवों में भारतीय संस्कृति की आदर्श देवी और गृहलक्ष्मी कही जाने वाली औरतों को चारे और ईंधन की तलाश में रोज ही 6 से 10 घंटे तक लगभग भटकना ही पड़ता है। यदि पर्याप्त वन होते और जमीन सूखी न होती, बंजर न बना दी गई होती, तो इंसान को यह दुःख-दर्द न भोगना पड़ता।

यह दुख की बात है कि इस विशाल देश में कैसे-कैसे इंसान हैं जो खुद एयरकंडीशंड महलों में रहते हैं, हवाई जहाजों में घूमते हैं, जमीन पर नहीं कालीनों पर पांव रखते हैं, जिनके कुत्ते भी भारतीय नहीं विदेशी डिब्बों में बंद (फूड) खाना खाते हैं और ये लोग समाज उत्थान की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इसी देश की जमीन पर आदमी ईंधन की लकड़ी और अपने पालतू प्रिय पशुओं के पेट के सुलगते सवाल को हल करने के लिए नंगे पांव कड़कती सर्दी तथा चिलचिलाती धूप में यहां से वहां भटकते रहते हैं।

शायद सभ्यता का ढोल पीटने वाला इंसान यह भूल गया है कि प्रकृति का चक्र बराबर चल रहा है, वह सबको न्याय देता है, दंड देता है। वह किसी भी व्यवस्था के फलस्वरूप चुप नहीं रहता है। यही कारण है कि आज मौसम में बदलाव आ गया है। गर्मी बढ़ने लगी है। सर्दी भी बढ़ने लगी है। यह तो तुम जानते ही हो जिन स्थानों पर वनस्पति नहीं होती, वहां रेगिस्तान या बर्फ के अलावा कुछ नहीं होता।

यदि आज हमारे देश में जंगल पर्याप्त मात्रा में होते या हमने वनस्पति और वनों का अंधाधुंध विनाश न किया होता, तो पूरे साल भर की बारिश के आधे से अधिक पानी को हम इकट्ठा करके अपने इस्तेमाल के लिए बचा सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी विडंबना है।

वनों के विनाश की ही वजह से आज जीवन की सबसे बड़ी जरूरत पानी की उपलब्धता हमारे देश में कम है। यह देश 21वीं सदी में

जाने की तैयारी में तो है मगर उस सदी में भूखे, नंगे, प्यासे और बंजर जमीन के अभिशाप को भोगते लोग ही आएंगे, जो सूखे से मरते हैं और दूसरी तरफ बाढ़ से भी मरते हैं। यह सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पर्याप्त जंगल, देश के क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब तथा अनुपात में नहीं हैं। यही नहीं जंगल व खेती, खेती व किसान, किसान व अनाज, अनाज और इंसान का आपस में बेहद गहरा रिश्ता है, जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता है।

यदि जंगल नहीं होंगे तो खेती पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। गांवों के आस-पास जो भी वृक्ष, पेड़-पौधे हैं, उनसे ईंधन और हरा-भरा चारा मिलता है। पशुओं का गोबर खाद के काम आता है, जो जमीन की ताकत तथा उपजाऊपन को बढ़ाता है।

लेकिन वनों के न होने से आज गांवों में जहां एक ओर लोगों ने पशु कम पालने शुरू किये हैं, वहीं वे ईंधन के लिए गोबर को ही जलाकर अपना काम चला रहे हैं और जो गोबर प्राकृतिक खाद के रूप में खेती को और अधिक बढ़ाता, वही आज रोटी के चक्कर में चूल्हों में धुआँ-धुआँ हो रहा है। और वो किसान, जो धनी नहीं है, साधनहीन है, आज इस प्रकृति की देन से भी वंचित हो चुका है और खेती न होने की वजह से शहरों की ओर भाग रहा है। परिणाम सामने हैं।

शहरों की तेजी से बढ़ती हुई आबादी ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। प्रदूषण, महंगाई, स्थान की कमी और मांग के अनुपात में पूर्ति की कमी की वजह से आदमी बराबर चरमरा कर टूटने को मजबूर है।

कितनी बड़ी विडंबना है कि वन विनाश होने से समस्याओं की कड़ी जुड़कर दर्द और दुःख की अजीबो-गरीब जंजीर बनती गई है, जिससे बचना तो सभी चाह रहे हैं। मगर बचाव का सही उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं या जान-बूझकर अनदेखा कर रहे हैं।

वनों के न होने से आज भूमि का उपजाऊपन भी समाप्त होता जा रहा है। जमीन की ऊपरी परत और उसके उपजाऊपन को बनाये रखने के लिए जंगल एक रचनात्मक भूमिका निभाता है। लेकिन वन की भूमिका को नकारते हुए उसे समाप्त करते हुए आज कुछेक स्वार्थी लोगों ने यह रचनात्मकता भी छीनने का गंभीर दंडनीय अपराध किया है, जो किसी भी हालत में माफ नहीं किया जाना चाहिए।

क्योंकि वनों के विनाश और पर्यावरण को लगातार होने वाली हानि ने समूचे प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। जैसाकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि आज समूचे देश की सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता वनीकरण की है।

यह भी बेहद चिंता और दुःख का विषय है कि इस देश का, हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का वन क्षेत्रफल अब केवल 11 प्रतिशत ही बचा है और वह भी आगामी वर्षों में कम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। परंतु देश की आवश्यकताओं और देश के प्राकृतिक स्वास्थ्य एवं हरे-भरे जीवन के लिए 33 प्रतिशत वन, जंगल होने ही चाहिए। यह जो 22 प्रतिशत वनों की कमी आज है, इसका अभाव ही समूचे देश को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से तोड़ कर खोखला बना रहा है।

कितनी अविश्वसनीय लगती है ये बात कि हिंदुस्तान की आधे से अधिक जमीन परती होने की दिशा में मजबूर है। खेती का क्षेत्र, जंगल, घास के मैदान आज इसमें शामिल हैं।

आज से तीस वर्ष पहले भारत की खेती के योग्य जो भूमि उपलब्ध थी वह प्रतिव्यक्ति के अनुपात में 0.48 हेक्टेयर थी। जंगलों के अंधाधुंध विनाश से वह घटकर केवल 0.26 हेक्टेयर रह गई है।

यही कारण है कि भूमि विनाश विकराल रूप लेता जा रहा है। जमीन की उपलब्धता कम होने की वजह से और मांग अधिक होने से जमीन महंगी होती चली जा रही है तथा पर्यावरण की हानि के साथ-साथ देश में गरीबी, भुखमरी और बेकारी का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। मानवीय जीवन बेहद बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

पशु, आदमी और मौसम तीनों बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यह सब प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुआ बल्कि यह विनाश मनुष्य द्वारा ही किया गया है। खुद आदमी ने अपने लिए ऐसी खाइयां खोद ली हैं, जो उसकी कब्र का काम करेंगी और क्या कहूं। जंगलों के न होने से मौसम और पर्यावरण पर जो बुरा असर पड़ा है

उसका परिणाम परती भूमि, बाढ़, सूखा, वन्य पशुओं को दुःख एवं आर्थिक समस्याओं के रूप में समाज के सामने हैं। उसको दूर किया जा सकता है, मगर इसके लिए वृक्षों के प्रति प्रेम और वनों का विकास करना होगा साथ ही साथ वनीकरण को आज का सबसे मुख्य लक्ष्य बनाकर भगीरथ प्रयास करना होगा वरना जंगल का न होना एक दिन समूची मनुष्य जाति के लिये अभिशाप साबित होगा। जंगल का अभिशाप आज यहां एक ओर आदमी को धीरे-धीरे तोड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आदमी इतना होने पर भी जाने क्यों बेखबर है।

आज सबसे अधिक वायुमंडल का प्रदूषण है। आये दिन अखबारों की खबरों में, रेडियो और टेलीविजन पर वायुमंडल की शुद्धता पर बल दिया जा रहा है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से वायुमंडल की प्राणदायक वायु ऑक्सीजन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बुरा प्रभाव पड़ता है। चिमनियों से रात दिन निकलता धुआं, मिल, कारखानों का धुआं, मोटर गाड़ियों का धुंआ तथा अन्य कारणों से प्रदूषित वायुमंडल से आज मानवीय स्वास्थ्य एक सुलगता सवाल बनकर रह गया है, जो स्वयं में एक ज्वलंत समस्या है।

हाल ही में वैज्ञानिक की इस चिंता ने तो समूची मनुष्यता को बेहद धक्का पहुंचाया है कि वायुमंडल में 'ओजोन' गैस की परत में बड़ा छिद्र हो गया है, जो सूर्य की घातक परमाणु धर्मो जैसी खतरनाक गर्मी और सब कुछ जलाकर राख कर डालने वाली पेराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सीमा पर असर डालने से रोकती है। जिसके फलस्वरूप होने वाले विनाश तथा प्रलय को कोई रोक नहीं सकता है। जानते हो यह कैसे संभव हुआ। यह धीरे-धीरे पर्यावरण की अशुद्धता से हुआ है। वनों के विलय से हुआ।

आज यह जान लेने के बाद काफी तेजी से वनीकरण के माध्यम से और प्रदूषण को रोककर इस महाविनाश से बचने के उपाय किए जा रहे हैं। भगवान करे इंसान अपने प्रयत्न में पूरी तरह से सफल हो।

इस दिशा में वन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह कितना बड़ा सत्य है कि - ''कुल एक हेक्टेयर वन जो (100 मी. ग 100 मी.) का होता है 18 घंटे में 600 से 650 किलोग्राम ऑक्सीजन देकर प्राणदायक वायु को बनाता है और वायुमंडल से बदले में 800 किलोग्राम प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने भीतर ग्रहण कर लेता है। सोचो यदि एक हेक्टेयर वन यह कर सकता है तो अधिक तथा पर्याप्त मात्रा में जंगल होने से वायुमंडल की शुद्धता कितनी अच्छी और बेहतर होगी, जो आदमी कभी भी कृत्रिम तरीकों से नहीं कर सकता है। आज हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पानी वर्षा और बाढ़ में बह जाती है जबकि प्रकृति को मिट्टी की उपजाऊ परत की 2.5 सें.मी. सतह बनाने में पूरे एक हजार वर्ष का लंबा समय लग जाता है।

आज हमारे देश में केवल 0.26 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति उपजाऊ भूमि है, जो काफी कम है। और जो उपजाऊ भूमि लाखों वर्षों के अंतराल में बनी थी वो मनुष्य ने वनों को काटकर समाप्त कर डाली है। जंगल-विनाश की यह प्रक्रिया यदि चलती रही तो हम पर्वतीय क्षेत्रों में उपजाऊ जमीन ही खो देंगे। यह सत्य है कि आज पहाड़ों में रहने वाली चार प्रतिशत मनुष्यों की संख्या मैदानी इलाकों तथा देश के शेष भाग में रहने वाले चालीस प्रतिशत लोगों के विकास में मील का पत्थर की तरह सहायक साबित हो रही है।

आज पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के विनाश से बेहद हानि उठानी पड़ी है। यह प्रक्रिया अंग्रेजों ने 1909 में आरंभ की जिसमें उन्होंने वन-संरक्षण के बदले खेती के विकास को बल दिया तथा वन बेरहमी से काटे गए। सन् 1916 से 1947 के बीच गढ़वाल के वनों में 38 प्रतिशत की कमी हुई। इसी प्रकार देश में अन्य भागों में भी वन-दोहन होता रहा। इसका परिणाम बेहद घातक रहा। आज पर्वतीय क्षेत्रों एवं देश के पूरे भागों में वनीकरण को हरेक आदमी को उसी तरह अपनाना होगा जैसे कि हिंदू रामचरितमानस की चौपाई अपनाता है। एक मुसलमान कुरान को अपनाकर अपनी इबादत करता है, जैसे एक ईसाई गिरजाघर में जाकर शांति और प्यार तलाशता है, एक सिख गुरुद्वारे में जाकर गुरुग्रंथ साहब को धारण कर सेवा करता है। एक बौद्ध, बुद्ध की करुणा में ही जीवन का तत्त्व तलाशता है।

हमसे रूठते बिछड़ते वनों को इस जमीन पर इसी भावना और पवित्रता के साथ पुनः लाकर उगाने पालने और पोसने की जरूरत है, तभी दर्द, दुःख, विनाश की जहरीली प्रक्रिया रुक सकेगी। और आदमी हरी-भरी धरती माँ की गोद में अपने बंधु वन्य पशु-पक्षियों के साथ अपनी जिंदगी की राह पर, उस यात्रा पर हंसते-खेलते चल सकेगा जो राह हरियाली और सुख की मंजिल की ओर जाती है।

- संयुक्त निदेशक (राजभाषा), वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

प्रधान कार्यालय स्तर पर आयोजित श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की झलकियाँ

दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में हमारे बैंक को पुरस्कार

वर्ष 2015 के दौरान हमारे बैंक के स्टाफ सदस्यों द्वारा अंतर बैंक प्रतियोगिताओं में कुल 9 पुरस्कार प्राप्त किए गए, जिनकी सूची निम्नानुसार है :-

1. श्री प्रदीप कुमार रॉय, सतर्कता विभाग (4 पुरस्कार),
2. सुश्री सौम्या गुप्ता, सतर्कता विभाग,
3 सुश्री विनीता सेंगर, चांदनी चौक शाखा।
4. सुश्री अर्चना माकन, राजेन्द्र प्लेस शाखा।
5. सुश्री नेहा कुमारी, वित्तीय समावेशन विभाग
6. सुश्री प्रेरणा, ऋण निगरानी विभाग।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा आयोजित 'कहानी अधूरी, करें इसे पूरी'
प्रतियोगिता के पुरस्कार बैंक के महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री दीन दयाल शर्मा द्वारा वितरित किए गए।

दिल्ली बैंक नराकास में सफलताएँ

दिल्ली नराकास द्वारा हमारी पत्रिका पी.एण्ड एस. बैंक 'राजभाषा अंकुर' को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। नराकास अध्यक्ष श्री राजेश यदुवंशी से शील्ड प्राप्त करते हुए श्री दीन दयाल शर्मा, महा प्रबंधक (राजभाषा) तथा प्रमाण-पत्र प्राप्त करते श्री राजिंदर सिंह बेवली, मुख्य प्रबंधक (राजभाषा)। चित्र में डॉ. वेद प्रकाश दुबे, संयुक्त निदेशक (राजभाषा), वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-1 गृह मंत्रालय तथा श्री प्रेम चंद शर्मा नराकास सचिव भी दिखाई दे रहे हैं।

दिल्ली बैंक नराकास द्वारा हमारे बैंक को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भी प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ।

[illegible]

-: यशोदा मुर्मु :-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मंजूषा

संथाली कविता हिंदी में पढ़ें

स्वाधीन भारत में नारी का स्थान?

-: यशोदा मुर्मु :-

संथाली भाषा संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से एक है, जिसकी लिपि ओल-चिकी है। बैंक की शाखा-बरामुंडा, भुवनेश्वर, उड़ीसा में कार्यरत सुश्री यशोदा मुर्मु द्वारा संथाली भाषा में रचित कविता, जिसका हिंदी अनुवाद भी स्वयं उन्होंने ही किया है, यहाँ प्रस्तुत है। उनका यह प्रयास विशेष सराहनीय है।

अब तक मन में उठता है यह सवाल
कि स्वाधीन भारत में है कहाँ नारी का स्थान?
आए थे जब अंग्रेज़ देश में,
छीना हमसे था कानून हमारा,
करके तब तक हम पर अत्याचार
जब तक ना उठा हमारे वीरों में,
तीर-धनुष और तलवार।
फिर भी क्यों?
क्यों यही सवाल अब तक मन में उठता है
कि स्वाधीन भारत में है कहाँ नारी का स्थान?
अमीर-गरीब में ना था कोई फर्क
न था जाति धर्म का भेदभाव
था तो बस भारत माँ की लाज बचाने का धर्म
और उसकी संतानों की रक्षा का धर्म
जिसके लिए उठ खड़े हुए थे हमारे वीर
छाती अपनी तान।
फिर भी क्यों?
क्यों यही सवाल अब तक मन में उठता है
कि स्वाधीन भारत में है कहाँ नारी का स्थान?
समाज के बंधनों में जकड़ी
अब भी नारी है पराधीन
नहीं मिला अब तक हक उसको
कि कर सके वो अपनी माँगों को पूरा
देख रहे हैं चलती राहों पर
रेल हो या मोटर कार
हाट हो या बाजार
हो रहा है हम पर अत्याचार
दिखता नहीं हमें न्याय का द्वार
हो रही हैं अब हम
बलात्कार की शिकार
लगा रही हैं हम
अपनी रक्षा की गुहार
थे हम पहले गैरों के गुलाम
पर अब अपनों ने ही किया जीना हराम।
शायद इसीलिए
मन में उठता है एक ही सवाल
कि स्वाधीन भारत में है कहाँ नारी का स्थान?
सुना था जो दादी-नानी से कहानी में
पढ़ा था हमने ग्रंथों में
महाभारत के उसी पाठ में
राजगद्दी के लोभ में
हुआ था जब भरी सभा में
वस्त्रहरण द्रौपदी का।
ऐसा ही जब हमने हम पर होते देखा
भारी भीड़ की राहों पर
ना रह सका उठ कर यह सवाल
कि स्वाधीन भारत में है कहाँ नारी का स्थान?
आँखों में आँसू न रुके
सूखी गले की थूक
दिल दहला और रोंगटे खड़े हो गए।
जब देखा हमने देश का ये रूप
देश के ही प्रदेशों में
हो रहा है कुछ ऐसा ही
फिर से हुआ हम पर यह जुर्म
जब आसाम की राजधानी में देखा
भारत माँ की एक लाचार बेटी का रूप।
किस्सा यहीं खत्म नहीं होता
ऐसा ही जब हमने फिर से होते देखा
बंगाल के वीरभूम जिला में
पंच के फैसले में
किया वस्त्रहरण बहन सुनिता मुर्मु का
शायद यही कारण है कि बार-बार
मन में उठता है एक ही सवाल
कि स्वाधीन भारत में है कहाँ नारी का स्थान?
झलक रहा है आँखों में
दिल्ली की दामिनी
और कितनी नारियों का चेहरा
देश की राजधानी से लेकर
राज्य, जिला, प्रखंड और गाँवों तक
गूंज रही है कानों में
नारी की एक ही चीत्कार
कि कोई हमें बचाए।
अंधविश्वास और दहेज के उत्पीड़न
को तो हम झेल ही रहे थे,
अब बलात्कार के इस दर्द को कैसे सहें
कोई हमें बताए।
इसीलिए बार-बार, बार-बार
अब तक मन में उठता है एक ही सवाल कि
स्वाधीन भारत में है कहाँ नारी का स्थान?

- शाखा-बरामुंडा, भुवनेश्वर

हमारी भाषा एवं हमारी संस्कृति

-: सुमन कुमार :-

दोस्तो, समूचे विश्व में हमारा देश अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के लिए जाना जाता रहा है परंतु बड़े अफसोस के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि आज हम कहीं न कहीं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपनी भाषा से दूर होते चले जा रहे हैं। आज पश्चिमी देशों की संस्कृति और भाषा ने हमें इतना प्रभावित कर दिया है कि उसके नशे में हम अपनी संस्कृति और भाषा को वह सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वो हकदार है।

सर्वप्रथम यदि हम बात करें अपनी संस्कृति की तो हमें ज्ञात होगा कि हमारी संस्कृति पूरे विश्व भर में अपनी शालीनता के लिए विख्यात रही है जो अपनापन, जो प्रेम, जो रंग हमें अपनी भारतीय संस्कृति में मिलता है वो विश्व के अन्य किसी देश की संस्कृति में देखने को नहीं मिलता। किसी भी देश की संस्कृति उस देश में रहने वाले लोगों के रहन-सहन, वेश-भूषा, खान-पान, आचार-व्यवहार, भाषा आदि के मिश्रण से बनती है। भारतीय संस्कृति पर अनेक महान विभूतियों, धार्मिक ग्रंथों, वेदों आदि का विशेष प्रभाव रहा है। आज हम विदेशों में जाकर अपनी संस्कृति को ही भूल जाते हैं यह हमारी संस्कृति का अपमान है। आज पश्चिमी देशों से प्रभावित होने के कारण हमारी जीवन शैली ही बदल गई है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि किस प्रकार हमें अपने माता-पिता, गुरुजनों, अध्यापकों, तथा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, परंतु पश्चिमी देशों की संस्कृति ने आज हमारे सामाजिक रिश्तों को खोखला कर दिया है। आज माँ, पिताजी, चाचा जी का स्थान मोम, डैड, अंकल आदि शब्दों ने ले लिया है आज दाल, रोटी की जगह हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, नूडल आदि ने ले लिया है।

अब यदि हम बात करें हमारी अपनी हिंदी भाषा की तो हम पाएंगे कि किस प्रकार आज अंग्रेज़ी भाषा के बढ़ते हुए बोलबाले के कारण हम अपनी भाषा से दूर होते चले जा रहे हैं आज हमारी मानसिकता और धारणा ऐसी हो गई है कि हम यह मानने लगे हैं कि जिसे अंग्रेज़ी बोलनी आती है वही सबसे ज्यादा काबिल है पर मेरा मानना है कि काबिलियत कभी भी किसी एक भाषा की मोहताज नहीं होती। हमारे देश में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपनी हिंदी भाषा में ही काम करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। हिंदी हमारी अपनी भाषा है इसको सम्मान देना हम सभी का दायित्व है हिंदी भाषा में जो वैज्ञानिकता और मिठास है वो अंग्रेजी भाषा में हरगिज़ देखने को नहीं मिलती। अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना अच्छी बात है परंतु इसे देश के सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाना अच्छी बात नहीं है। विश्व के कई देश अपनी राष्ट्रभाषा को ही सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग में लाते हैं जिनमें चीन, जापान, रूस, जर्मनी आदि शमिल हैं तो क्यूं न आज हम भी यह प्रण लें कि हम सरकारी कामकाज हेतु अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि आनेवाले दिनों में हम सभी मिलकर अपनी संस्कृति और अपनी भाषा की रक्षा हेतु ठोस कदम उठाएंगे तथा इसकी प्रगति में अपना-अपना भरपूर योगदान देंगे। याद रखें कि हमारी असली पहचान हमारी अपनी संस्कृति और हमारी अपनी भाषा से है न कि अंग्रेज़ियत से है।

- आंचलिक कार्यालय, लुधियाना

हिंदी कार्यशालाएँ

प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली

आंचलिक कार्यालय, जालं.र

आंचलिक कार्यालय, अमृत.र

आंचलिक कार्यालय, पटियाला

आंचलिक कार्यालय, भोपाल

आंचलिक कार्यालय, बरेली

आंचलिक कार्यालय, होशिय.रपुर

आंचलिक कार्यालय, दिल ी-।।

सीबीआरटी, चंडीगढ

वित्तीय साक्ष

प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत बैंक

गाँव गीदड़वाला के वित्तीय साक्षरता परामर्श केंद्र शिविर में सतुलज ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष बी. पी. एस. कंवल, वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता ओ. पी. गुप्ता तथा अन्य अधिकारीगण।

गाँव माचाकी कलाँ में वित्तीय साक्षरता परामर्श केंद्र शिविर में भाग लेते हुए फरीदकोट के आंचलिक प्रबंधक श्री जसवंत सिंह।

प्रधानम
जन-धन योजना के
आबंटित गाँवों में वित्तीय समा
साक्षरता शिविरों का आयोजन किया गया, जि
अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जैसे कि प्र
बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के संबंध
साथ ही बैंक मित्रों की कार्य-प्रणाली तथा म
ग्रामीण जनता को उनकी क्षेत्रीय भाषा में स
इलैक्ट्रॉनिक रीडर से गुजारने तथा बीमा के
दिया गया।

रता शिविर

द्वारा वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन

ंत्री
 अंतर्गत, बैंक को
वेशन हेतु हमारे बैंक द्वारा वित्तीय
जिनमें प्रधानमंत्री जन-धन योजना के साथ 03
धानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति
में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इसके
ाइक्रो एटीएम में लेन-देन आदि के विषय में
समझाया गया। इन शिविरों में रुपे कार्ड को
मुआवज़े के लिए उसकी वैधता पर विशेष बल

गाँव जसपालों के वित्तीय साक्षरता परामर्श केंद्र शिविर में लुधियाना के वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता सी. एस. सोढ़ी और लुधियाना के आंचलिक प्रबंधक वरिंदर जीत सिंह विर्क।

गाँव वीरेवाला कलाँ के वित्तीय साक्षरता परामर्श केंद्र शिविर में फरीदकोट के वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता जी. एस. वालिया और फरीदकोट के अग्रणी जिला प्रबंधक एन. एस. नूर।

राजभाषा गतिविधियाँ

मस्तिष्क मंथन कार्यक्रम

प्रधान कार्यालय, मानव संसाधन विकास विभाग

प्रधान कार्यालय, जोखिम प्रबंधन विभाग

सी.बी.आर.टी. चंडीगढ़

सी.बी.आर.टी. चंडीगढ़

आंचलिक कार्यालय, बरेली

आंचलिक कार्यालय, बरेली

वित्त मंत्रालय की बैठक

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की दिनांक 6 से 7 नवंबर, 2015 को आयोजित राजभाषा संगोष्ठी एवं समीक्षा बैठक की मुख्य-मुख्य बातें

दिनांक 6 व 7 नवंबर 2015 को वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सभी बैंकों के महाप्रबंधक (राजभाषा) तथा राजभाषा प्रभारी उपस्थित हुए। बैठक की मुख्य-मुख्य बातें इस पत्रिका में इस आशय से प्रकाशित की जा रही हैं कि सभी स्टाफ राजभाषा हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं में काम करने के प्रति जागरूक हों और जो भी सदस्य अपने स्तर पर इन पुनीत काम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकें, वे अपनी प्रतिभा का इस ओर उपयोग करें ताकि बैंक इस राजभाषा की राह में और तीव्रता से आगे बढ़ सके।

राजभाषा कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :

1. प्रत्येक तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन नियमित अंतराल पर करें, जिसकी अध्यक्षता कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाए।
2. प्रत्येक तिमाही की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को ऑन लाइन भेजी जाए।
3. शाखाओं में 'ग्राहकों से संबंधित सभी फॉर्म द्विभाषी रूप में उपलब्ध होने चाहिए तथा
4. 'प्रदर्शित करें कि पासबुक में प्रविष्टि हिंदी में भी की जाती है तथा केवाईसी मानदंड नामांकन-पत्र आदि का कार्य हिंदी में होता है।
5. 'क' क्षेत्र से भेजे जाने वाले पत्रों पर पते हिंदी में लिखा जाना सुनिश्चित करें।
6. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शित किए जाने वाले अधिकांश विज्ञापन हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में ही हों।
7. शाखाओं में नामपट्ट हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में अवश्य हों।
8. उच्चाधिकारियों द्वारा शाखाओं, अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाए।
9. प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषिक रूप में उपलब्ध हो और सभी संकाय सदस्यों को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए।

सृजनात्मक कार्यों का लोकार्पण :

संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा 17 विभिन्न क्रियाकलापों का लोकार्पण किया गया, जिसमें हमारे बैंक की 'अंकुर' पत्रिका के सितंबर, 2015 अंक एवं उड़िया कहानी तथा उसके हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया गया।

कार्यक्रम के दूसरे दिन अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी एवं संस्कृत भाषा के अध्येता देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने **'देश के विकास में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की भूमिका'** विषय पर अपने व्याख्यान में राजभाषा के ऐतिहासिक पक्ष को उजागर किया।

राजभाषा विभाग, गृह-मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक (कार्यान्वयन) के द्वारा मार्गदर्शन :

राजभाषा विभाग, गृह-मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक (कार्यान्वयन) श्री हरिन्द्र कुमार द्वारा सभी उच्चाधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा गया कि बैंकों में हिंदी के प्रचार के लिए कुछेक विशिष्ट प्रयासों की जरूरत है। जो निम्नलिखित है :

1. हिंदी के प्रशिक्षण के संबंध में तीन से पांच मिनट की वीडियो क्लिपिंग तैयार की जाएं।
2. बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं के संबंध में भी तीन से चार मिनट की वीडियो क्लिपिंग तैयार की जा सकती है।
3. उच्चाधिकारियों के लिए रोज़ हिंदी में बैंकिंग शब्दावली मोबाइल वीडियो से भेजी जा सकती है।
4. कार्यशालाएं दस्तावेज़ों के आधार पर की जाएं तथा बैंक की प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी रूप में उपलब्ध हो।

वित्त मंत्रालय व गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने केवल आदेशात्मक शैली का प्रयोग न करते हुए प्रेरणात्मक शैली का प्रयोग किया है। अतः हम सभी का दायित्व बनता है कि हम मंत्रालय द्वारा किए गए दिशा-निर्देशों पर अपने कार्य राजभाषा में बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता लगा दें।

- प्र.का. राजभाषा विभाग

सोच और कर्म

-: सुश्री मनजीत आनंद :-

हम सब यही कामना करते हैं कि हम सदैव खुशहाल, हृष्ट - पुष्ट तनावमुक्त और सुखी जीवन व्यतीत करें। साथ ही कहीं-न-कहीं हमारी यह भी चाहत होती है कि हमारे पारिवारिक रिश्ते अच्छे रहें और व्यवसाय में भी हमारी तरक्की होती रहे। जीवन के हर छोटे बड़े पड़ाव पर हमारी कोशिश रहती है, सब कुछ नियंत्रण में रखने की अपने मुताबिक। धीरे-धीरे जीवन हमें यह सिखा देता है कि यह संभव नहीं होता और इतना आसान भी नहीं होता। हम सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल नियंत्रित नहीं कर सकते। अपितु हम कोशिश कर सकते हैं, प्रतिकूल समय में अपने आप पर नियंत्रण रखने की ...., समझौता करने की, जीवन के हर रंग, हर उतार - चढ़ाव का हिम्मत और सूझबूझ से सामना करने की। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ हमारे हाथ से फिसल रहा है........ परिवार, रिश्ते, मित्र, धन-संपत्ति, स्वास्थ्य और स्वयं ज़िंदगी भी। लेकिन......

एक दिन में हमारे मस्तिष्क में 50,000 से 60,000 तक विचार उत्पन्न होते हैं, जिनका प्रभाव हमारी हर कोशिका पर पड़ता है। इन्हीं विचारों के अनुसार हम ज़िंदगी के रोजमर्रा के महत्वपूर्ण फैसले करते हैं और अपनी नियति, नियत करते हैं।

लेकिन जीवन तो चलने का नाम है न, तो क्यों न उसे भरपूर जिया जाए..... अंतिम सांस तक। और यह सब तभी संभव हो पाएगा, जब हमारी "सोच" और "कर्म" दोनों ही सकारात्मक होंगे। हमारी सोच का हमारी परिस्थितियों पर सीधा असर पड़ता है। एक दिन में हमारे मस्तिष्क में 50,000 से 60,000 तक विचार उत्पन्न होते हैं, जिनका प्रभाव हमारी हर कोशिका पर पड़ता है। इन्हीं विचारों के अनुसार हम ज़िंदगी के रोजमर्रा के महत्वपूर्ण फैसले करते हैं और अपनी नियति, नियत करते हैं। अपने विचारों की ऊर्जा का आवरण हम ओढ़ कर चलते हैं, जिसकी तरंगें दूसरों तक पहुंचती हैं।

क्योंकि हमारी सोच ही हमारा पहला कर्म है, इसलिए हमें यह सीखना है कि हमें अपनी सोच पर कैसे नियंत्रण रखना है। हमें अपनी सोच को भटकने से रोकना होगा और सोच को उचित दिशा की ओर प्रवाहित करना होगा। हमारी अच्छी सोच ही उचित कर्मों का आधार बनती है और हमारे संचित कर्म हमारा भविष्य तय करते हैं जिसे निम्नानुसार समझा जा सकता है।

मतलब यह कि हमारी सोच से हमारे कर्म बनते हैं और कर्म हमारे स्व भाव में तबदील होते हैं और फिर हमारी किस्मत खुद-ब-खुद बन जाती है।

हमें यह सीखना है कि कैसे हम अपने मन और विचारों को घृणा, ईर्ष्या, लालच आदि नकारात्मक विचारों से प्रभावित न होने दें। इसके लिए हमें अपने भीतर आते-जाते विचारों का गहनता से अवलोकन करना होगा। अच्छे विचारों को भली प्रकार से सहेजना होगा और बुरे विचारों का किसी भी सूरत में विलोप करना होगा। बुरे विचार हमारी आंतरिक शक्ति को क्षीण करते हैं और हमें कमजोर बनाते हैं जिसके फलस्वरूप हम गलत काम करने लगते हैं और न केवल अपना वर्तमान खराब करते हैं बल्कि अपना भविष्य भी संकट में डाल देते हैं। याद रखें कि बुरे विचारों का दुष्प्रभाव हमारे तन, हमारे मन पर पड़ता है और हम अपने रिश्ते खराब कर लेते हैं। अपनी अपार शक्ति के बावजूद हमारे स्वाभाविक गुण अपनी ही गलत सोच का शिकार बन कर क्षीण हो जाते हैं। कुछ नया और कुछ अच्छा कर पाने की चाहत बुरे कर्मों में उलझकर दब जाती है और हम अपनी किस्मत को दोषी मानने लगते हैं।

हमारी संस्कृति में सोच, कर्म और फल को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। हमारे कार्मिक (कर्मों का खाता) खाते में हमारी सोच और हमारे कर्मों के अनुसार प्रविष्टियाँ होती रहती हैं। अच्छे कल के लिए अपने कार्मिक खाते में हमें न केवल अच्छे बीज बोने होंगे बल्कि अच्छे

विचारों से इनका पोषण भी करना होगा। तभी तो जीवन फलीभूत होगा। कठिन समय में यही संचित कर्म हमें दुःख से उबरने की ताकत देंगे और उससे मुकाबला करने की प्रेरणा देंगे। अच्छे कार्मिक खाते के लिए आवश्यक है कि समय-समय पर हम अंतर्मुखी होकर आत्म-विश्लेषण करते रहें। हमें अपनी नकारात्मक सोच पर अंकुश लगाना सीखना होगा। जैसे बगीचे की बाड़ को काँट-छाँट कर माली उसे सुंदरता प्रदान करता है, ठीक वैसे ही हमें अपने आचार-विचार पर कड़ी नजर रखनी होगी और समय-समय पर इसकी काँट-छाँट करनी होगी ताकि इसमें कोई अनावश्यक अथवा गलत विचार उबरने न पाए। ऐसा करने से हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा और हमारा आत्म विश्वास बढ़ेगा, हमारे कर्मों की अच्छाई ही हमारी लक्ष्यपूर्ति में सहायक सिद्ध होगी। ऐसा करने से हम जीवन-पथ की कठिनाइयों और प्रतिरोधों के बावजूद हर्षित जीवन जीना सीख जाएंगे विपरीत परिस्थितियाँ भी हमारा भटकाव नहीं कर पाएंगी।

स्मरण
शक्ति में लिमका बुक ऑफ रिकार्ड्स में दर्ज

श्री विश्वरूप राय चौधरी ने एक जन-सभा को संबोधित करते हुए सिद्ध किया था कि जब हम बहुत गुस्सा करते हैं तो हमारी शरीर की क्रियाओं पर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसे में नकारात्मक हार्मोन्स का शरीर में रिसाव बढ़ जाता है। ठीक इससे विपरीत जब हम बहुत संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक ढंग से जीना सीख लेते हैं तो उससे सकारात्मक हार्मोन्स की उत्पत्ति बढ़ जाती है और हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। अतः आप समझ सकते है कि हमारी सोच और हमारे कर्म किस प्रकार हमें खुशहाल जीवन दे सकते हैं।

सकारात्मक सोच हमें एक सुखद अनुभूति देगी, हमारे रिश्तों में आत्मीयता का संचार होगा और जीवन के हर पहलू में आशा और उम्मीद की किरण नजर आएगी - - - - - विपरीत परिस्थितियों में भी हम आभार प्रकट करते हुए खुशी खुशी जीना सीख जाएंगी।

- **पूर्व प्रबंधक**

ज़रा सोचिए

इंद्रजीत सिंह

बात पुरानी है। उन दिनों मैं आनंदपुर साहिब शाखा में शाखा प्रभारी के रूप में काम कर रहा था। पीएमआरवाई मामलों की रिकवरी के सिलसिले में मैं एक ऋणी के घर गया। ऋण से चलाई जा रही दुकान बंद पड़ी थी। घर में सन्नाटा पसरा था। इतने में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। ऋणी के पूछने पर बुढ़िया ने एक ओर इशारा कर दिया। कच्चे मकान के भूसे वाले कमरे के साथ एक अंधेरे और धुएं से भरे कमरे में शरीर खुजलाते हुए 'सोहन' की हालत ऐसी थी जैसे कई दिनों से नहाया न हो। काला शरीर, बिखरे हुए बाल और कमरे में बदबू। हालत बहुत ही दयनीय थी। लगभग पागल सा था। बुढ़िया से पूछने पर पता चला कि ग्राहकों ने उधार लौटाया नहीं, दुकान बंद हो गई और सोहन ने दिल पर लगा लिया। उस दिन मैंने अपने कामों के लिए कुछ पैसा निकलवाया था। बुढ़िया के हाथ में 5,000 - रुपए रखे और दुकान फिर से शुरू करने की सलाह दी और चल पड़ा। कुछ महीने बीत गए। एक दिन एक स्मार्ट से लड़के ने अचानक मेरे पैर छूते हुए नमस्ते की। मैंने पूछा 'तुम कौन'। उसने कहा 'सोहन'। मैं तब भी नहीं समझा। 'सर आप जो पैसे दे कर आए थे, उनसे घरवालों ने दुकान में और सामान डलवाया और धीरे-धीरे काम ने रफ्तार पकड़ी। दुकान में मैंने लिख दिया 'कृपया उधार मांग कर शर्मिंदा न करें'। और फिर समय बदला। आज सर मैं आपका पैसा लौटाने आया हूँ और जल्दी ही बैंक का पैसा भी वापिस कर दूँगा।

हम दोनों की आँखों में बरबस ही खुशी के आँसू छलक आए। क्यों ऐसे नहीं आ सकती रिकवरी। ज़रा सोचिए......

पूर्व प्रबंधक (एलएचओ चंडीगढ़)

भ्रष्टाचार : कारण और निवारण

-: सतिन्दर कौर :-

भारत एक महान राष्ट्र है। भारत एक अमीर राष्ट्र है किंतु यहाँ के लोग गरीब हैं क्योंकि मानसिकता इंसान की जैसी होती है वो वैसा ही हो जाता है। आज भ्रष्टाचार ऐसी समस्या बन चुकी है कि इसके खिलाफ एक युद्ध, एक जंग की जरूरत है, सभी को एक साथ आने की जरूरत है।

भ्रष्टाचार वर्तमान युग में भ्रष्टाचारियों के लिए सफलता का सर्वश्रेष्ठ साधन है। काम निकालने तथा श्री समृद्धि की रामबाण औषध है। भ्रष्टाचार एक मानसिक विकार चित्त-वृत्ति को विकृत करने वाली एक प्रवृत्ति है मन का विलास है, भ्रष्टाचार एक रोग है बिमारी होते भी बहुत मीठा है, प्यारा है कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक नर-नारी, राजनीतिक, सामाजिक, नेता इसमें खुद को विलीन करने को आतुर है।

भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो समृद्ध से समृद्ध देश को गरीब और खोखला बना देता है भ्रष्टाचार की शुरुआत मनुष्य के लालच से शुरु हुई और अब भारत में इसके बड़े-बड़े उदाहरण देखने को मिलते हैं आज हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लोग अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने और अधिक धन कमाने के लालच में अपने कर्तव्यों को भूलकर देश एवं देशवासियों की परवाह न कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। भारत में कालाधन स्वतंत्रता के बाद से ही एक गम्भीर समस्या बना हुआ है।

सिंहासन और व्यवहार का रिश्ता, भारत में दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है। भ्रष्टाचार ही है जो देश के विकास और अर्थव्यवस्था में बाधक होता है। व्यापारी धन कमाने के लिए मुनाफाखोरी व जमाखोरी अपनाते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है और देश का विकास धीमा होता है व अर्थव्यवस्था अवरुद्ध होती है।

सरकारी कर्मचारी अधिक पैसा कमाने के लालच में अनुचित तरीके अपनाते हैं अपने कर्तव्य का निर्वाह न कर अपने ज़मीर को बेच देते हैं। भ्रष्टाचार ने अपनी मजबूत जड़ें, इस तरह फैलाई हैं कि इसको कम करना नामुमकिन सा लगता है। किंतु गहन चित्तवृति, आत्मबल एवं समय का उपयोग करते हुए आने वाली पीढ़ियों को सही संस्कार व ज्ञान देकर इसे पूर्णतया खत्म किया जा सकता है।

बेरोजगारी और गरीबी : भारत की जनसंख्या बहुत है और गरीबी व बेरोजगारी भी ज्यादा है। आय के साधन सीमित हैं। गरीबी की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्योंकि मनुष्य को जब किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वह किसी न किसी तरीके से उसे प्राप्त करना चाहता है उस समय उसे कोई रिश्वत देता है तो वह ले लेता है, क्योंकि परिवार बड़े हैं। कमाने वाले कम हैं खाने वाले ज्यादा।

व्यवस्था-तंत्र : देश का व्यवस्था-तंत्र भी भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। क्योंकि सरकारी कार्य करने वालों का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है। इस वजह से और अनेक कार्य, अनावश्यक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं तो कार्य करने में समय ज्यादा लगता है। जब कार्य सीधा व समय पर नहीं होता तो लोग काम जल्दी कराने के लिए रिश्वत वाला तरीका अपनाते हैं। धीरे-धीरे ये लत लग जाती है और फिर रिश्वत को वो अपनी फीस ही समझने लगते हैं इस वजह से भ्रष्टाचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

कानून व्यवस्था एवं दबाव : कर्मचारियों की आलसी प्रवृत्ति और कानून व्यवस्था का कोई भय नहीं होने के कारण जनता के कार्यों को विलम्ब से करते हैं इसलिए लोग अपना काम निकलवाने के लिए भ्रष्टाचार का तरीका अपनाते हैं। कर्मचारियों का लालच बढ़ता जाता है क्योंकि उन्हें तनख्वाह तो सरकार से मिलती ही है। उनकी लालच

की प्रवृत्ति की वजह से वो ज्यादा कमाने का व्यापार बना लेते हैं। ''भ्रष्ट नेताओं की वजह से भ्रष्टाचार को अत्यधिक बढ़ावा मिला है ये अपना दबदबा बनाये रखने के लिए ईमानदारी से कार्य करने वाले कर्मचारियों पर गलत तरीके से कार्य करने का दबाव बनाते हैं ये अपने रिश्तेदारों और मित्रगणों का कार्य गलत तरीके से करवाते हैं। अतः भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कानून व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है।

आय का असमान वितरण : भारत बहुत बड़ा देश है और यहाँ आय का इतना असमान वितरण है कि जिसकी कल्पना भी भयावह है। पैसे वाले लोग सामान्य लोगों की तरह कतार में खड़े रहकर कार्य करवाना पसंद नहीं करते वो अपने पैसे के दम पर कार्य करवाते हैं और आम जनता का कार्य लटका रहता है।

निष्कर्ष यही है कि देश में कानून तंत्र अपने कार्य सही तरीके से नहीं करते। कर्मचारियों पर उनका भय नहीं है और वो जनता को परेशान करते हैं और प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैलता जा रहा है। लोगों का चारित्रिक स्तर गिरता ही जा रहा है तो उन्हें ये रिश्वत देना या लेना गलत नहीं लगता।

कानून व्यवस्था में सुधार : भारत में निरंतर किसी न किसी जगह भ्रष्टाचार घोटाले हो रहे हैं और वो उजागर भी हो रहे हैं। फिर भी कई सालों तक मुकदमा चलता ही रहता है अगर इसकी सुनवाई की समय-सीमा निश्चित हो व छोटे से छोटे भ्रष्टाचार के लिए भी कड़ी सजा हो और भ्रष्टाचार के अनुसार सजा दी जाए तब इसमें कुछ हद तक कमी की जा सकती है।

वसूली का अधिकार : 'राईट टू रिकवर' - यानि हमारे देश में कई घोटाले हुए और भ्रष्टाचारियों को सजा भी हुई और वो भ्रष्ट लोग बाहर भी आ गये लेकिन जो धन उन्होंने लूटा उसका क्या हुआ जैसे हमारे देश में 'राईट टू रिजेक्ट' कि मांग उठी वैसे ही अब 'राईट टू रिकवर' कानून लागू हो और वह, उसके रिश्तेदार माता-पिता-पत्नी-संतान आदि की सम्पत्ति से भी वसूल करने का प्रावधान हो।

शिक्षा-तंत्र में सुधार : सबसे महत्वपूर्ण है देश का शिक्षा-तंत्र, क्योंकि अगर शिक्षातंत्र में ही भ्रष्टाचार रहा तो देश से भ्रष्टाचार मिटाने की सोचना भी बेमानी है जहाँ हम शिक्षा प्राप्त करते हैं वो विद्या का मंदिर होता है। आज के युग में भ्रष्टाचार की शुरुआत यहीं से हो रही है। कुछ शिक्षक अधिक पैसे कमाने के लिए पैसे लेकर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण करते हैं जो छात्र योग्य हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती, पेपर बेचकर अयोग्य को नौकरी दिलवा देते हैं वो फिर भ्रष्टाचार ही करेगा। क्योंकि पेपर खरीदने में उसने मोटी रकम दी है जो वो भ्रष्टाचार करके ही वसूल करेगा, क्योंकि उसने वो पद जमीर बेच कर ही प्राप्त किया है।

आज से 30-40 साल पहले कहते हैं इतने विद्यालय और महाविद्यालय नहीं थे और लोग पढ़ने दूर-दूर जाते थे और आज प्रत्येक गली चौराहे पर विद्यालय खुला मिलता है। फिर क्यों भ्रष्टाचार बढ़ा है इसका कारण है कि शिक्षा का ही व्यवसायीकरण हो चुका है, यहाँ पढ़ने लिखने की शिक्षा तो मिलती है पर चरित्र निर्माण को बहुत पीछे छोड़ दिया है यहीं पर, बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान दिया जाता है। पहले इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता था, जिसका आज के नव-शिक्षकों को भी पता नहीं है।

चरित्र निर्माण : आज भ्रष्टाचार द्वारा धन सब कमाना चाहते हैं किन्तु जब खुद पर आरोप साबित हो तो शर्म भी महसूस होती है तो कौन माता-पिता चाहेंगे की उनकी संतान पर ऐसा आरोप लगे। अगर भ्रष्टाचार मिटाना है तो बच्चों का चरित्र निर्माण सबसे जरूरी है ताकि सबके लिए जमीर ही सबसे बड़ा धन हो। हमें अपने महापुरुषों को प्रेरणा स्रोत मानते हुए यही बच्चों को सिखाना चाहिए।

मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उस पवित्र भूमि व देश में जन्म लिया है, जहाँ मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम, योगेश्वर श्रीकृष्ण, गुरु नानकदेव, गुरु गोविन्दसिंह तथा महर्षि वाल्मीकि, संत कबीर, संत रविदास, संत तुकाराम, जैसे महापुरुष पैदा हुए। हम जीवन रूपी पुष्प से माँ भारती की आराधना करेंगे एवं ईमानदारी से जीवन निर्वाह करेंगे। अगर इस भूमि पर जन्म लेकर इतने महापुरुषों की प्रेरणा मिलने पर भी हम बेईमान हैं तो धिक्कार है हमारे जीवन पर।

- आंचलिक कार्यालय, अमृतसर

बैंकों की यात्रा

भुगतान बैंक एवं लघु बैंक दृष्टिकोण

-: जगमोहन सिंह मवकड़ :-

हमें ऐसा लग सकता है कि बैंक एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। भले ही भारत में बैंक शब्द अंग्रेजों के साथ आया मगर मूलतः यह शब्द अंग्रेज़ी का नहीं, बल्कि इतालवी शब्द है। भाषावैज्ञानिकों का मानना है कि बैंक प्राचीन भाषा के बैंका इटवन शब्द से बना है (जिसका अर्थ मेज, टेबल या बैंच है) जबकि कुछ लोग मध्ययुगीन फ्रैंच के बैंक्वे से इस शब्द का जन्म मानते हैं। दोनों ही जगह इसका अर्थ एक ही है - मेज, टेबल या बैंच। यूरोप में यहूदी लोग साहुकारी के धंधे में शुरू से प्रवीण रहे हैं। इटली के लोम्बार्डी इलाके के यहूदियों का रुपए-पैसे के लेन-देन का एक खास ढंग था। ये लोम्बार्डी साहूकार बाजार में अपनी अपनी बैंच लेकर आते और उस पर विभिन्न तरह की मुद्राएं और कारोबारी दस्तावेज (हुंडियां वगैरह) रखकर मुद्राओं का लेन-देन व अन्य खरीद-बिक्री का काम करते। जब कोई साहूकार आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता तो उसकी बैंच तोड़ दी जाती। बाद में इस क्रिया के लिए बैंक्रप्ट (दिवालिया) शब्द चल पड़ा। उसके बाद जब मुद्रा से संबंधित लेन-देन और उसे जमा करने का काम संगठित तौर पर होने लगा तो उस स्थान विशेष को ही बैंक कहा जाने लगा और सबसे पहला आधुनिक बैंक इटली के जेनेवा में 1406 में स्थापित किया गया था, इसका नाम बैंको दि सेन जिओर्जिओ (सेंट जार्ज बैंक) था।

भारत में भी ईसा से दो हजार वर्ष पहले पैसा उधार लेने देने की प्रथा प्रचलित थी। मनुस्मृति में ब्याज के बदले राशि उधार देने के पर्याप्त संकेत मिलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र (ग्रंथ) से भी इस बात का पता चलता है कि प्राचीन काल में साहूकारी के नियम बने हुए थे किंतु ब्याज की दर एवं राशि वसूल करने के नियम आज जैसे न थे। मध्य एशिया में हुंडी का प्रयोग 12वीं शताब्दी के आस-पास होने लगा जबकि विदेशी व्यापार का क्षेत्र बढ़ने लगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन या राशि (रकम) भेजने की आवश्यकता हुई। मुगल सम्राटों ने धनी महाजनों और साहूकारों को कर वसूली के अधिकार सौंपे और उन्हें स्थान-स्थान पर कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। जन-साधारण अपनी बचत राशि को इन महाजनों के पास जमा करते और जमा राशि पर महाजन ब्याज भी देते थे। आवश्यकता पड़ने पर लोग इन्हीं महाजनों से राशि उधार लेते थे जिस पर उन्हें ब्याज देना पड़ता था। इस प्रकार आधुनिक बैंकों का प्रारंभ होने के पूर्व महाजन ही बैंकिंग का काम करता था, जिसके पास धन राशि जमा की जाती

थी और रुपया उधार भी मिलता था। भारत में पहला भारतीय बैंक, जनरल बैंक ऑफ इंडिया था। इसे वर्ष 1786 में स्थापित किया गया था। अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक एवं मौद्रिक आवश्यकताओं के लिए एजेंसी गृह और जॉइंट स्टॉक बैंक स्थापित किए। सन् 1921 में भारत के तीन प्रेसीडेंसी बैंकों ("बैंक ऑफ कलकत्ता", "बैंक ऑफ बंबई" और "बैंक ऑफ मद्रास") को मिलाकर 'इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया' बनाया गया। यह एक सरकारी बैंक था पर जनता के साथ भी लेन-देन करता था। 1 अप्रैल, 1935 को भारत में एक केंद्रीय बैंक "रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया" की स्थापना की गई। जो देश भर की बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करता है।

बैंक की परिभाषा

बैंक की परिभाषा हर देश ने अपने कानून के अनुरूप अलग-अलग दी है। अंग्रेजी आम कानून के तहत, एक बैंकर एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित है जो बैंकिंग के व्यापार को करता है, जो इस प्रकार निर्दिष्ट है :

- अपने ग्राहकों के लिए चालू खातों के संचालन
- उस पर तैयार की चेक और भुगतान
- अपने ग्राहकों के लिए चेक का संग्रह।

भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 के अंतर्गत बैंक की परिभाषा निम्ननानुसार दी गई है :

"ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेश द्वारा माँगने पर उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था 'बैंक' कहलाती है"।

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार भारत में बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। लोग अपनी अपनी बचत राशि की सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने के लिए इन संस्थाओं में जमा करते और आवश्यकतानुसार समय-समय पर निकालते रहते हैं। बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं।

समय की आवश्यकता के अनुसार बैंकों के कार्यों में कई अन्य वित्तीय गतिविधियाँ भी जुड़ती चली गईं। क्योंकि एक ही बैंक के लिए व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा कृषि की समुचित वित्तव्यवस्था करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होने लगा। अतएव विशिष्ट कार्यों के लिए अलग-अलग बैंक स्थापित किए जाने लगे, जैसे व्यापार के विकास के लिए व्यापारिक बैंक, कृषि के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)/सहकारी बैंक (Co-operative Bank) / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank) इत्यादि, बड़े उद्योगों के विकास के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (Industrial Development Bank of India) / भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Finance Corporation of India) / औद्योगिक वित्त निगम (Industrial Development Finance Corporation) इत्यादि तथा छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिडबी (SIDBI), उद्योगों मे निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम (Industrial Credit & Investment Corporation of India), आवास ऋण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank) आदि की स्थापना की गई। इसी तरह विदेश व्यापार के विकास के लिए आयात-निर्यात बैंक (EXIM Bank) की स्थापना की गई। इन सभी प्रकार के बैंकों को विधिपूर्वक चलाने तथा उनमें पारस्परिक तालमेल बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (केंद्रीय बैंक) को दायित्व सौंपा गया, जो देश भर की बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करता है।

इसी प्रकार नई तकनीक के विकास के साथ-साथ बैंकों की कार्य-प्रणाली में भी काफी सुधार हुआ। आप किसी भी बैंक खाते को किसी भी शहर से संचालित कर सकते हैं। और तो और आप घर बैठे अपने बैंक खाते को अपने लैपटाप से संचालित कर सकते हैं। तकनीक का तो अब इतना विकास हो चुका है कि आप अपनी बैंकिंग की लेन-देन की लगभग पूरी प्रक्रिया अपने मोबाइल फोन से भी पूरी कर सकते हैं। देखते ही देखते देश के शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का नेटवर्क काफी मजबूत हो गया है। खासकर बड़े शहरों में तो

गली-गली और चौराहों पर बैंक शाखाएं और एटीएम मिल जाएंगे लेकिन दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों में यह सुविधाएं अभी नहीं पहुंच पाई हैं। ग्रामीण इलाकों में अब भी कई-कई किलोमीटर की दूरी पर बैंक की शाखा ढूंढे नहीं मिलेगी। यहां आम लोगों को नकदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए साहूकारों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वित्तीय सेवाओं के अभाव में यह वर्ग हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। शहर और कस्बों से सटे बड़े-बड़े गांवों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाएं जरूर खुल रही हैं लेकिन इनकी संख्या बहुत ही सीमित हैं। इससे इन शाखाओं में ग्राहकों की भारी भीड़ जुटी रहती है। इससे यह तो साबित होता है कि ग्रामीण जनता बैंकिंग सेवाओं का उपयोग तो करना चाहती है लेकिन यहां बैंक अपना नेटवर्क नहीं बना रहे हैं। निजी क्षेत्र के बैंक तो शहरों से बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार ही नहीं है। इसी का नतीजा है कि देश की 50% से ज्यादा आबादी को बैंकिंग सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। आमतौर पर ये लोग छोटी अवधि के लिए कर्ज लेते हैं। स्थानीय स्तर पर साहूकार और आढ़ती इस रकम पर सालाना 36% से 60% तक की दर से ब्याज वसूलते हैं।

इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंक एवम लघु बैंक शुरू करने की मंजूरी दी है। जिन्हें प्रथम पांच वर्षों में न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 100 करोड़ रुपये होगी। जबकि सामान्य वाणिज्यिक बैंकों को लाइसेंस हासिल करने के लिए न्यूनतम 500 करोड़ रुपए की पूंजी होना जरूरी है। लघु बैंक और भुगतान बैंक सामान्य से अलग तरह के बैंक होंगे। सरकार का इन बैंकों को स्थापित करने का मकसद वित्तीय समावेश गतिविधियों को बढ़ावा देना है। प्रोमोटरों का योगदान पहले पांच साल के लिए कम से कम 40% होगा। अतिरिक्त शेयरधारिता व्यापार के प्रारंभ होने की तारीख से 5 साल के अंत तक 40% तक, 10 वर्ष के अंत तक 30% और 12 वर्षों में 26% तक नीचे लाया जाना

होगा। लघु बैंक में विदेशी शेयरधारिता निजी क्षेत्र से संबंधित समय-समय पर यथासंशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति के अनुरूप होगी।

भुगतान बैंक (पेमेंट बैंक)

भुगतान बैंक एक विशेष प्रकार के बैंक हैं जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलापों की अनुमति है, जिनमें प्रमुख हैं कि ये बैंक ग्राहकों से जमा ले सकते हैं किंतु लोन नहीं दे सकते। साथ ही यह भी निर्देश हैं कि इन बैंकों का परिचालन शुरुआत से ही पूर्णतः नेटवर्क व प्रौद्योगिकी साधित हो।

इन बैंकों को प्रमुखतः वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु स्थापित किया गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये निम्न प्रकार से सहायक होंगे :-

- लघु बचत खाते उपलब्ध कराना
- प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आय अर्जित करने वाले परिवारों, लघु कारोबारों, असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थाओं और अन्य उपयोगकर्ताओं को भुगतान / भुगतान विप्रेषण सेवाएं प्रदान करना

इन बैंकों को कुछ सीमित गतिविधियों की ही अनुमति है:

- यह सामान्य बैंक की तरह ही काम करेंगे।
- मांग जमाराशियों को स्वीकारना। प्रारंभ में भुगतान बैंक प्रति व्यक्तिगत ग्राहक की अधिकतम 1,00,000 की शेष राशि रख सकता है। इसके माध्यम से पैसे का लेन-देन किया जा सकता है। खाते में जमा रकम पर ब्याज भी मिलेगा।
- ये बैंक ग्राहकों को एटीएम / डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की अनुमति नहीं होगी। क्योंकि पेमेंट बैंकों को नियमित बैंकों की तरह कर्ज देने की अनुमति नहीं है।
- पेमेंट बैंक इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लेन-देन की सुविधा भी देंगे।
- पेमेंट बैंक से बैंकिंग सिस्टम में कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा।

- ये बैंक अपने पास नकदी या सरकारी प्रतिभूतियाँ ही रख सकते हैं।
- छोटे कारोबारी और कम आय वाले लोग भी अपना खाता खोल सकेंगे।
- गांवों में बैंकिंग व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- विभिन्न सारणियों के माध्यम से भुगतान और धन-प्रेषण सेवाएं दे सकेंगे।
- भारतीय रिज़र्व बैंक व्यवसाय प्रतिनिधियों से संबंधित के दिशा - निर्देशों के अधीन रहते हुए अन्य बैंक का व्यवसाय प्रतिनिधि बनना।
- म्यूच्युअल फंड इकाइयों और बीमा उत्पाद आदि जैसे जोखिम रहित सरल वित्तीय उत्पादों का वितरण करना।

पेमेंट बैंक कैसे काम करेंगे: -

पेमेंट बैंक को केवल डिपॉजिट लेने का अधिकार होगा। आरबीआई के मुताबिक खाताधारक पेमेंट बैंक में एक लाख रुपए तक जमा करा सकेंगे। इसके लिए आपको कैश लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरबीआई ने पेमेंट बैंक को प्री-पेमेंट कार्ड जारी करने की भी अनुमति दी है। यानी जिस तरह गिफ्ट कार्ड, मेट्रो कार्ड जैसे प्री-पेमेंट कार्ड जारी किए जाते हैं। वैसे ही पेमेंट बैंक भी कार्ड जारी करेंगे। इसके अलावा पेमेंट बैंक को बिजनेस कॉरस्पोंडेंट से भी जुड़ने की छूट होगी। इससे भी ऑनलाइन बैंकों को बढ़ावा मिलेगा। बचत खातों में पड़ा आपका पैसा ज्यादा ब्याज भी कमा सकता है और आपके बिल वगैरह को समय पर पेमेंट और बाकी के नियमित खर्चे के काम भी आ सकता है। बिल का पेमेंट हो या गांव देहात में पैसा पहुंचाना हो वो सब पेमेंट बैंक से हो सकता है। जैसे वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनियां कर रही हैं। बैंक की बजाय उन कंपनियों के पेमेंट बैंक में खाता शुरू हो जाएगा। अभी जो वोडाफोन एम-पेसा सुविधा वाला वॉलेट है वो पेमेंट बैंक का खाता बन जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग नियमावली, 1949 की धारा 22 के अंतर्गत 19 अगस्त, 2015 को निम्नलिखित 11 कंपनियों को पेमेंट बैंक (भुगतान बैंक) शुरू करने की अनुमति दी है।

1) आदित्य बिरला नुवो लि.।

2) एयरटेल एम. कॉमर्स सर्विस लि.।

3) चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसिज लि.।

4) डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टल

5) फिन पेटेक लि.।

6) नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लि.।

7) रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.।

8) दिलीप शांतिलाल सांघवी (सन फार्मा)।

9) विजय शेखर शर्मा (पेटीएम)।

10) टेक महिंद्रा लि.।

11) वोडाफोन एम पेसा

लघु बैंक या लघु वित्तीय बैंक (Small Banks)

वित्तीय समावेश गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में बैंकों की महत्वपूर्ण होती भूमिका को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सितंबर महीने में वित्तीय सेवाओं से जुड़ी निम्नलिखित 10 कंपनियों को लघु बैंक शुरू करने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं।

1) द एयू फाइनेंसर्स इंडिया लि., जयपुर।

2) द कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि., जालंधर।

3) द दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लि., अहमदाबाद।

4) द इक्विटास होल्डिंग प्राइवेट लि., चेन्नई।

5) द ईएसएएफ माइक्रोफाइनेंस प्रा. लि., चेन्नई।

6) द जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज, बेंगलुरू।

7) द आरजीवीएन (एनई) माइक्रोफाइनेंस लि., गुवाहाटी।

8) द सूर्योदय माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लि., मुंबई।

9) द उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि., बेंगलुरू।

10) द उत्कर्ष माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लि., वाराणसी।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा छोटे बैंकों को दिये गये लाइसेंस की वैधता 18 महीनों तक रहेगी, ताकि वे रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित तय दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर सकें। छोटे बैंकों को भी अन्य बैंकों की तरह बैंकिंग कारोबार का परिचालन देश भर में करने की अनुमति दी गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने छोटे बैंकों के लिए यह दिशा-निर्देश निर्धारित किया है कि वे अपने कुल ऋण का 75 प्रतिशत कर्ज प्राथमिकता क्षेत्र को देंगे। वे अपने ऋण पोर्टफोलियो में से 50 प्रतिशत, 25 लाख रुपये तक के ऋण देंगे। इन बैंकों को भी दूसरे वाणिज्यिक (कमर्शियल) बैंकों की तरह रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करना होगा, जिसमें सीआरआर और एसएलआर के न्यूनतम स्तर का अनुपालन भी शामिल है।

लघु बैंक से किसको और क्या लाभ होगा : -

यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लघु बैंकों से सबसे अधिक फायदा छोटे किसानों, कुटीर उद्योग से जुड़े लोगों एवं अन्य छोटे कारोबारियों जैसे खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, सब्जी बेचने वाले निचले तबके के कारोबारियों को होगा। छोटे बैंक का उद्देश्य ही छोटे किसानों, कुटीर उद्योग चलाने वाले कारोबारियों, अति लघु व लघु उद्योगों, असंगठित क्षेत्र की इकाइयों को प्राथमिक स्तर की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके तहत सीमित स्तर तक जमा स्वीकार किये जाएंगे और 25 लाख रुपये तक के ऋण भी दिए जा सकेंगे, साथ ही ये बैंक ग्राहकों को दूसरी बैंकिंग सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकेंगे। स्पष्ट है, छोटे बैंकों के अस्तित्व में आने से छोटे कारोबारियों को आसानी से कर्ज मिल सकेगा।

इन बैंकों के आने से कर्ज दर में उल्लेखनीय कमी आने की संभावना है, क्योंकि छोटे बैंकों द्वारा गृह, शिक्षा, कृषि से जुड़े ऋण एवं एसएमई से जुड़े कर्ज देने से लोगों की बड़े वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भरता कम हो सकेगी।

लघु (छोटे) बैंक पूंजी की लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीयकृत बैंक की तरह सस्ती दर पर कर्ज उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। इसलिए कारोबार के विस्तार के लिए उनको सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाना होगा, जिससे बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों को लाभ होगा। इससे बैंकों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माहौल का निर्माण भी हो सकेगा।

लघु (छोटे) बैंकों के स्वरूप से साफ है कि वे मौजूदा बैंकों के प्रतिद्वंद्वी के रूप में कार्य नहीं करेंगे। सच कहा जाए तो इन बैंकों के खुलने से वित्तीय समावेशन की संकल्पना साकार करने में मदद मिलेगी, क्योंकि इनका कार्यक्षेत्र मोटे तौर पर बैंकिंग क्षमता से वंचित इलाकों में होगा तथा दूसरे बैंकों के पूरक के तौर पर भी कार्य करते दिखेंगे। फिर भी छोटे बैंक छोटे कारोबारियों एवं छोटे किसानों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने में छोटे राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी व विदेशी बैंकों से बेहतर साबित होंगे।

कुल मिलाकर बदलते आर्थिक परिवेश में छोटे बैंकों की अपनी तरह की सार्थक भूमिका है, क्योंकि तमाम दावों के बावजूद इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि देश की एक बड़ी आबादी आज भी बैंकिंग सुविधाओं से वंचित है।

इस बात को ध्यान मे रख कर देखा जाए तो वित्तीय समावेशन को असली जामा पहनाने और लोगों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में छोटे बैंक सार्थक भूमिका निभा सकते हैं इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि इनके परिचालन के बाद रोजगार के अवसर बढ़ाने, समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन आदि की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है।

- पूर्व प्रबंधक, प्र.का. योजना एवं विकास विभाग

समय

पीयूष कुमार

समय मौन है...... मृत नहीं
सूक्ष्मता से जाँचता है
गतिविधियाँ मनुष्य की
अधखुली आँखों से
व्यंग्यपूर्ण मुस्कान से
देखता है -
सब कुछ
होकर शांतचित्त
बटोरता है तथ्यों को
ताकि लिख सके
बिना पक्षपात
मनुष्यता का
एक सच्चा
इतिहास

\- आँचलिक कार्यालय, होशियारपुर

कार्टून कोना

कार्टूनिस्ट : श्री प्रदीप कुमार रॉय, प्र.का. सतर्कता विभाग।

समीक्षा बैठक

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी एवं समीक्षा बैठक में अपने बैंक के राजभाषा संबंधी क्रियाकलाप प्रस्तुत करते, बैंक के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री राजिंदर सिंह बेदली। चित्र में वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) डॉ. वेद प्रकाश दुबे, भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक(राजभाषा) डॉ. रमाकांत गुप्ता व अन्य बैंकों के उच्चाधिकारी दिखाई दे रहे हैं।

बेताल फिर बोल पड़ा

-: कमलरूप सिंह :-

कुछ दिन पहले एक मित्र घर आए थे। बातों-बातों में देश की वर्तमान स्थिति की भी चर्चा हुई। मुझसे कहने लगे - ''दोस्त! तुम तो लिखते रहते हो। आजकल देश में जो दंगे-फसाद हो रहे हैं उन पर कुछ क्यों नहीं लिखते? आज हमें एकता की बहुत आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता के नाम पर कुछ पन्ने रंग डालो''

मित्रवर तो यह कहकर चले गए लेकिन मुझे दुविधा में डाल गए। मैं जब लिखने बैठा तो पाया कि कहने को कुछ भी विशेष नहीं है। वही घिसे पिटे नारे, नेताओं के वादे और सरकार के सम्मेलन और नतीजा। वही 'ढाक के तीन पात'। आपस में जुड़ना तो दूर की बात है हमारे बीच के फासले और बढ़ रहे हैं।

छोटी-छोटी बातों में एक दूसरे का धर्म और मातृभाषा आड़े आ जाते हैं। दूसरे के धर्म की इज्जत करना तो लोग भूल ही गए हैं। अब ''मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना'' वाली बात बड़ी बेमानी सी लगने लगी है।

समझ में नहीं आ रहा था कि धर्म से शुरू करूं या भाषा से, रहन-सहन से शुरू किया जाए या खान-पान से। हमारा सब कुछ तो भिन्न है। हां... हम'' भारत में अनेकता में एकता'' का नारा लगाते हुए अवश्य ''एक'' नज़र आते हैं।

यही सब सोचते-सोचते न जाने कब आंख लग गई। लगभग आधी रात को ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कोई नींद से जगा रहा है। मैंने आंखें खोलीं तो कुछ धुंधला सा नज़र आया। गौर से देखा तो सामने बेताल को पाया। बेताल ने बिना समय नष्ट किए मुझसे कहा, ''मैं विक्रमादित्य को कंधों पर बैठाकर तथा उसके उत्तर सुन-सुनकर बहुत बोर हो गया हूं। अतः आज तुम्हारे पास आया हूं। तुम मुझे अपने कंधों पर उठाओ और श्मशान की ओर ले चलो।''

बेताल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था इसलिए कोई भी सवाल करने की हिम्मत किए बिना ही उसे अपने कंधों पर उठाकर श्मशान की ओर चल दिया। तभी बेताल ने हमेशा की तरह बोलना शुरू कर दिया, ''मानव कहीं तुम मेरे बोझ से थक न जाओ, इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी के अंत में तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। हां, उसका जवाब न देने पर भी तुम्हारे सिर के टुकड़े नहीं होंगे। तुम चाहो तो जवाब न भी देना।''

''यह कहानी एक घड़ी की है। घड़ी मनुष्य को कभी न रुकने वाले समय का आभास कराती है। घड़ी यह काम अपनी तीन बेटियों की मदद से बड़ी खूबी से अंजाम देती है। इन तीन सुइयों रूपी बेटियों के जिम्मे एक-एक कार्य सुपुर्द है। तीनों का अपना-अपना कार्य-क्षेत्र है तथा तीनों की गति में भी काफी अंतर है। रफ्तार के अलग-अलग होते हुए भी तीनों को आपस में मिलना पड़ता है। भला बिना मिले कहीं काम चल सकता है।''

''लेकिन इत्तफाक देखो कि छोटी बेटी को बड़ी से मिलना नहीं भाया और उसके दिल में बड़ी के विरुद्ध नफरत भर गई। जब यह बात बड़ी को पता चली तो उसने अपना बड़प्पन दिखाते हुए नन्हीं का हाथ पकड़ कर हल्की सी चपत लगा दी। नतीजा यह निकला कि अपनी गलती सुधारने के स्थान पर नन्हीं गुस्से से भड़क उठी तथा बोली ''अगले चक्कर में देखूंगी तुझे। दो-चार हाथ ऐसे जमाऊंगी कि जहन्नुम का रास्ता दिखाई देगा।''

''जब एक घंटे के बाद बड़ी सुई आई तो नन्हीं मानो उसी का इंतजार कर रही थी। झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ''तूने मेरे इलाके में आने की हिमाकत कैसे की, मैं तुमसे बदला लिए बिना नहीं रहूंगी। आज मैं तुझे मार कर ही दम लूंगी।'' बड़ी ने

भी गुस्से में कहा, "यह मेरा इलाका है और मैं हमेशा से इसी रास्ते से गुजरती आ रही हूँ। तू मेरे हाथ छोड़ दे वर्ना इतना पिटेगी कि सुध-बुध खो बैठेगी।"

"दोनों में से कोई भी अपनी हार मानने को तैयार न थी। नतीजा यह हुआ कि दोनों एक दूसरे पर पलट-पलट कर वार करने लगी। यह झगड़ा तभी समाप्त होना था जब किसी एक की हार होती और ऐसे में हार हमेशा कमज़ोर की ही होती है। इस झगड़े में बड़ी को एक हाथ ऐसा पड़ गया कि वह लड़खड़ा कर गिर पड़ी। अब तो अपनी विजय पर इतराती नन्हीं बड़ी अकड़ कर चलने लगी। उसे सचमुच अपनी इस जीत पर बहुत खुशी थी।"

"लेकिन उसे यह महसूस नहीं हो रहा था कि वह कितनी बड़ी गलती कर बैठी है। घड़ी में अब केवल दो सुइयाँ बची थीं। सैकेन्ड की सुई अपने दायरे में घूम अवश्य रही थी लेकिन बेकार थी। घड़ी में छोटी सुई को देखकर समय का पता ही नहीं चल रहा था। यह मालूम करना कठिन था कि इस समय सवा दस बजे हैं या पौने ग्यारह। गरज़ यह कि घड़ी को निकम्मी और बेवफा समझ कर एक ओर रख दिया गया।"

कहानी समाप्त करते ही बेताल ने सवाल दाग दिया, "मानव इस घड़ी की कहानी का तात्पर्य बताओ"? मैं बेताल के बोझ से काफी थक चुका था और चाहता था कि जल्दी से जल्दी वह मेरे कंधों से हट जाए। अतः मैंने कुछ सोचकर जवाब दिया -

"यहां पर घड़ी से तात्पर्य हमारी जन्म भूमि अर्थात् भारतवर्ष से है। इसमें रहने वाले हिन्दू, मुसलमान और सिख इस घड़ी की सुइयाँ हैं। प्रत्येक के मज़हब का अपना-अपना दायरा है और उसके नियम भी जुदा-जुदा हैं। लेकिन इतना अंतर होते हुए भी आपस में मिलकर रहना पड़ता है। भला बिना मिले भी कहीं समाज चल सकता है। लेकिन खेद की बात है कि हमें एक दूसरे से मिलना अच्छा नहीं लगता जिसका परिणाम लड़ाई-झगड़े हमारे सामने हैं। रोज़-रोज़ के इन दंगें-फ़सादों के कारण देश की प्रगति की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है और देश की दशा रुकी हुई घड़ी की मानिंद प्रतीत हो रही है।"

"अतः हमें चाहिए कि हम देश में एकता बनाए रखें तथा एक दूसरे का हमसाया बनकर रहें। अपना-अपना धर्म अवश्य अपनाएं लेकिन दूसरों के धर्म को बुरा भी मत कहें। सच्चाई को ही अपना धर्म समझें और हमारे मुख से केवल यही बात निकले -

"यह हिन्दोस्तां बस हमारा वतन है।
हमें जां से भी यह प्यारा वतन है।।
हम हिन्दोस्तानी हैं सब भाई-भाई।
कहां का यह झगड़ा कहां की लड़ाई।।"

अभी मेरा जवाब समाप्त भी नहीं हुआ था कि बेताल अदृश्य हो गया। प्रातः जब मेरी आंख खुली तो मेरा मस्तिष्क सभी प्रकार से तनाव मुक्त था।

- सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा)

भारत के सभी धर्म घड़ी की सुइयों जैसे हैं, जिन्हें अलग-अलग गति से अपने नियमों, अपनी रिवायतों और अपने संस्कारों के अनुसार आगे बढ़ना है, किंतु फिर भी मिलकर पूर्णता हासिल करनी है। मिलकर न चलने का परिणाम जातीय हिंसा है और मिलकर चलने का परिणाम है 'विकास'

प्राथमिकता क्षेत्र की यात्रा

एन. पी. सिंह

देश में रहने वाले लोगों के सभी वर्गों का संपूर्ण रूप से कल्याण, आर्थिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना किसी भी सरकार का प्राथमिक कर्तव्य होता है। सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास में वित्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी देश के आर्थिक विकास को, सकल घरेलू उत्पाद (GDP & Gross Domestic Product) की विकास दर से मापा जा सकता है।

G+D+P+ = कृषि + उद्योग + सेवाओं में उत्पादन का कुल योग

सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि हासिल करने के लिए समस्त तीनों क्षेत्रों में अर्थात कृषि, उद्योग और सेवा में संतुलित विकास आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि कोई भी क्षेत्र पर्याप्त और सतत वित्तीय सहायता के बिना निरंतर वृद्धि हासिल नहीं कर सकता। आजादी के बाद से लेकर साठ के दशक के अंत तक भारत में बैंकिंग प्रणाली निजी बड़े व्यापारिक घरानों के हाथों में रही और बैंक शाखाओं के माध्यम से समाज से जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा स्वयं उनके अपने व्यवसाय के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कृषि, उद्योग, लघु व्यवसाय, खुदरा व्यापारी, परिवहन संचालक आदि क्षेत्रों में लीन भारतीय आबादी का बड़ा हिस्सा, वित्त पाने के लिए लालायित था।

साठ के दशक के अंत में भारत सरकार को ऐसा लगा कि अब तक उपेक्षित रहे क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए बिना सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि और भारत की आबादी के बड़े हिस्से (80%) का संपूर्ण विकास नहीं किया जा सकता। अंत में यह निर्णय लिया गया कि भारत में परिचालित 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। राष्ट्रीयकरण की पूरी कवायद दो किश्तों में की गई। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण साठ के दशक के अंत और 06 बैंकों का अस्सी के दशक के अंत में किया गया।

संघ सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम : संघ सरकार द्वारा दो प्रमुख कदम उठाए गए

1. **अग्रणी बैंक योजना :** भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से समस्त जिलों को बैंकों के बीच बांटा गया और उन बैंकों को अग्रणी बैंक कहा गया। जिले के विकास के लिए वार्षिक आधार पर विकास योजना (वार्षिक कार्य योजना) तैयार करने और उचित निगरानी के साथ इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी अग्रणी बैंक को दी जाती।

2. **प्राथमिकता क्षेत्र :** सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों जैसे कि कृषि, लघु उद्योग, लघु व्यवसाय, खुदरा व्यापारी, व्यावसायिक और स्व-रोज़गार, छोटे परिवहन ऑपरेटर आदि की सूची प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में बनाई गई और बैंकों को इस क्षेत्र को उधार देने के लिए कहा गया। प्राथमिकता क्षेत्र में निधियां लगाने और इच्छित परिणाम हासिल करने के लिए सभी बैंकों को इस क्षेत्र के लिए कुल अग्रिमों का 40% ऋण देने का लक्ष्य दिया गया। नाबार्ड के आरआईडीएफ फंड में निवेश के अंतर पर न्यूनतम 4% की ब्याज दर पर चूककर्ता बैंकों पर जुर्माना लगाया गया जिस कारण बैंकों की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की अर्थव्यवस्था, सरकार की योजना और दिशा-निर्देशों की जरूरतों के मुताबिक प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा में संशोधन कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र की नवीनतम परिभाषा निम्नानुसार है :-

प्राथमिकता क्षेत्र के तहत वर्गीकरण

पहले	संशोधित
1. कृषि	1. कृषि
2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	2. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम
3. शिक्षा	3. शिक्षा
4. आवास	4. आवास
5. निर्यात ऋण	5. निर्यात ऋण
6. अन्य	6. सामाजिक मूलभूत संरचना
	7. नवीकरणीय ऊर्जा
	8. अन्य

प्राथमिकता क्षेत्र हेतु लक्ष्य/उप-लक्ष्य

1.	कुल प्राथमिकता क्षेत्र	एएनबीसी : या ऑफ बैलेंस-शीट एक्सपोज़र का 40 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो
2.	कृषि	एएनबीसी : या ऑफ बैलेंस-शीट एक्सपोज़र का 18 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो
3.	लघु एवं सीमांत किसान	एएनबीसी : या ऑफ बैलेंस-शीट एक्सपोज़र का 08 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो
4.	सूक्ष्म उद्यम	एएनबीसी : या ऑफ बैलेंस-शीट एक्सपोज़र का 40 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो
5.	कमज़ोर वर्ग को अग्रिम	एएनबीसी : या ऑफ बैलेंस-शीट एक्सपोज़र का 10 प्रतिशत में से जो भी अधिक हो

संशोधित

शीर्ष	ऋणी के प्रकार	प्रयोजन	अधिकतम सीमा, यदि कोई हो
1. खेती ऋण	एकल किसानों/एसएचजी/जेएलजी को ऋण, कॉरपोरेट, कृषि उत्पादक संस्था कंपनी साझेदारी, फर्म तथा किसानों की सहकारिताएं	कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ दृष्टिबंधन/गिरवी के एवज में किसानों को ऋण कृषि एवं सहायक गतिविधियाँ	कोई अधिकतम सीमा नहीं 50 लाख रु. 2 करोड़ रु. की सीमा तक
2. कृषि आधारित संरचना	स्टोरेज के निर्माण हेतु ऋण	1. वेयर हाउस, मार्केट, यार्ड्स गोदाम, साइलो, कृषि उपज के भंडारण हेतु निर्मित श्रृंखला 2. भू-संरक्षण तथा जल विभाजक गतिविधियाँ पौध ऊतक संवर्धन बायो टैक्टनोलोजी, बीज उत्पादन, जैव कीटनाशक, जीव उर्वरक, कीटनाशक, तथा वर्मी कम्पोस्ट	100 करोड़ रु. 100 करोड़ रु.
3. सहायक गतिविधियाँ	1. किसानों की सहकारी समितियों को ऋण 2. कृषि स्नातकों को ऋण 3. प्रक्रमक (प्रोसेसर) को ऋण 4. पीएसीएस/एफएसएस/एलएएमपीएस को ऋण 5. एमएफ आई को ऋण 6 बकाया ऋण	सदस्यों के कृषि उपज के निपटान हेतु एग्रीक्लीनिक, एग्रीबिजनस हेतु खाद्य एवं एग्रो प्रोसेसिंग हेतु किसानों को आगे ऋण देने हेतु आरबीआई मानकों अनुसार किसानों को आगे ऋण देने हेतु आरआईडीएफ तथा अन्य पात्र निधियों के तहत	5 करोड़ रु. 100 करोड़ रु.
4. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	निर्माण क्षेत्र उद्यम सूक्ष्म उद्यम लघु उद्यम मध्यम उद्यम सर्विस उद्यम सूक्ष्म उद्यम लघु उद्यम मध्यम उद्यम	संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 20 लाख रु. से अधिक नहीं 20 लाख रु. से 5 करोड़ रु. तक 5 करोड़ रु. से 10 करोड़ रु. तक उपकरणों में निवेश 10 लाख रु. तक 10 लाख रु. से 2 करोड़ रु. तक 2 करोड़ रु. से 5 करोड़ रु. तक	ऋण सीमा कोई सीमा नहीं कोई सीमा नहीं कोई सीमा नहीं ऋण सीमा 5 करोड़ रु. तक 5 करोड़ रु. तक 10 करोड़ रु. तक

5.	निर्यात ऋण	1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च तक	एएनबीसी का अधिकतम 2 प्रतिशत या ऑफ बैलेंस-शीट एक्सपोज़र के बराबर ऋण, जो भी अधिक हो	अधिकतम सीमा 25 करोड़ रु. तथा टर्नओवर 100 करोड़ रु. से अधिक नहीं
6.	शिक्षा ऋण	व्यक्तियों को शिक्षा हेतु	स्वीकृत सीमा पर विचार किए बिना अधिकतम 10 लाख रु.	
7.	आवास ऋण	व्यक्तियों को	अधिकतम ऋण मेट्रो उच्च जनसंख्या 10 लाख से 28 लाख	आवास/फ्लैट का अधिकतम मूल्य 35 लाख रु.
			अन्य केन्द्र में खरीद/निर्माण हेतु 20 लाख रु. मरम्मत हेतु, मेट्रो 5 लाख रु., अन्य 2 लाख रु.	25 लाख रु.
			स्लम क्लीयरेंस हेतु सरकारी एजेंसी कमजोर वर्ग के हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु परिवार की	10 लाख रु. प्रति यूनिट
			आय 2 लाख रु. से अधिक नहीं	10 लाख रु. प्रति यूनिट
		एनएचबी द्वारा अनुमोदित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को बैंक ऋण	कुल ऋण सीमा अधिकतम 10 लाख रु. तक	
8.	सामाजिक मूलभूत संरचना	सामाजिक मूलभूत संरचना, स्कूल हेल्थ केयर, पीने के पानी, सेनीटेशन हेतु ऋण	अधिकतम ऋण 5 करोड़	
9.	अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल ऊर्जा)	सोलर आधारित पॉवर जनरेटर बायोमास आधारित पॉवर जनरेशन विंड मिल्स, माइक्रो हाइडल एनर्जी जनोपयोगी गैर परंपरागत ऊर्जा के प्रयोजन हेतु	फार्मों के लिए अधिकतम ऋण 15 करोड़ रु. व्यक्तियों के लिए 10 लाख रु.	
10.	अन्य	एसएचजी/जेएलजी हेतु व्यक्तियों तथा उनके एसएचजी को बैंक द्वारा सीधे ही 50,000/- रु. तक ऋण प्रदान करना बशर्ते कि व्यक्तिगत ऋणियों की ग्रामीण क्षेत्रों में परेलू आय 10 लाख रु. से अधिक न हो।		
			मरम्मत हेतु, मेट्रो 5 लाख रु., अन्य 3 लाख रु.	
			स्लम क्लीयरेंस हेतु सरकारी एजेंसी कमजोर वर्ग के हाउसिंग प्रोजेक्ट हेतु परिवार की	10 लाख रु. प्रति यूनिट
			आय 2 लाख रु. से अधिक नहीं	10 लाख रु. प्रति यूनिट
		एनएचबी द्वारा अनुमोदित हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को बैंक ऋण	कुल ऋण सीमा अधिकतम 10 लाख रु. तक	

- प्रधानाचार्य, सीबीआरटी, चंडीगढ़

गृह मंत्रालय द्वारा बैंक के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण

दिनांक 27.10.2015 को गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा प्रधान कार्यालय का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया गया। चित्र में महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री दीन दयाल शर्मा से विचार-विमर्श करते हुए उप निदेशक महोदय।

निरीक्षण करवाते मुख्य प्रबंधक श्री राजिंदर सिंह बेदी तथा वरिष्ठ प्रबंधक श्री कंवर अशोक।

निरीक्षण के अवसर पर प्रधान कार्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों का आंकलन करते श्री प्रमोद कुमार शर्मा। चित्र में महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री दीन दयाल शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं।

निरीक्षण के उपरांत महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री दीन दयाल शर्मा व राजभाषा विभाग के स्टाफ सदस्यों के साथ श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय-I (दिल्ली)।

कैसे हो महिलाओं की सुरक्षा?

-: इन्दरपाल कौर :-

आधुनिक युग, व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का युग है। गुलामी की जंजीरें तोड़कर मानव एक नई स्वतंत्र जीवन-चेतना लेकर प्रगति के अनछुए शिखरों को छू रहा है। वैसे आधुनिक युग में हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार जीवन के हर क्षेत्र में समान मौका मिल रहा है। अपने कर्तव्य एवं नई दिशाएं दिलाने के लिए हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष।

भले ही मनुष्य को बनाने और सँवारने में, समाज और संस्कृति की अभिरक्षा में, नारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तथापि वह आज भी समाज में असुरक्षित महसूस कर रही है। भले ही वह बस हो, रेलगाड़ी हो, कोई पार्क हो या फिर कोई अन्य स्थान। उसके मन में एक प्रकार का भय हर समय उसके साथ साया बन कर चलता रहता है कि कहीं कोई अप्रिय घटना उसके साथ न हो जाए।

यह बात बिल्कुल सही है कि 'नारी' ईश्वर का बनाया हुआ एक सुंदर स्वरूप है, जिसकी कोख से महावीरों, नेताओं, संतों आदि ने जन्म लिया है किंतु इसके बावजूद भी नारी सदा से ही उपेक्षित रही है। नारी हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, जीवन-संगिनी है। महाकवि मैथिली शरण गुप्ता जी जैसे महान रचयिता ने अपनी रचना में भी यह बात कही है कि:-

आँचल में है दूध और आँखों में पानी।

इसके अतिरिक्त मनुस्मृति में मनु ने भी लिखा है कि:-

पिता रक्षति कौमार्य भर्ता रक्षति यौवने।
वार्धक्ये रक्षति पुत्रः न स्त्री स्वातंत्र्यमहेति।

अर्थात नारी की रक्षा बचपन में पिता करता है, यौवन में उसका पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। परंतु आज के युग में यह संकल्पना बदल चुकी है। नई शिक्षा प्रणाली ने नारी को एक नई विचार शक्ति प्रदान की है जिसके फलस्वरूप आज वह आत्म-निर्भर हो रही है। वह खुले मन से सोचने, समझने और बोलने लगी है और पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। किंतु दुख की बात है कि इन सब बातों के बावजूद आज नारी को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पाई है। उसे आज भी कामिनी एवं भोग की वस्तु के रूप में ही देखा और परखा जा रहा है जो अत्यंत निंदनीय है।

गुरबाणी में भी नारी को उच्च स्थान प्रदान करने की बात की गई है:-

सो क्यों मंदा आखिए, जित जम्मे राजान।

भले ही मनुष्य को बनाने और सँवारने में, समाज और संस्कृति की अभिरक्षा में, नारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तथापि वह आज भी समाज में असुरक्षित महसूस कर रही है। भले ही वह बस हो, रेलगाड़ी हो, कोई पार्क हो या फिर कोई अन्य स्थान। उसके मन में एक प्रकार का भय हर समय उसके साथ साया बन कर चलता रहता है कि कहीं कोई अप्रिय घटना उसके साथ न हो जाए। उसके जहन में दिल्ली का निर्भया कांड मानो जैसे घर कर चुका है। उसे असुरक्षा का भाव रहता है।

प्रत्येक महिला को सुरक्षा प्रदान करना हमारी सरकार का परम कर्तव्य होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार को निम्नानुसार विभिन्न कदम उठाने चाहिए ताकि हमारे देश, शहर व घर-परिवार में महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें:-

1. सरकार द्वारा महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे उनके प्रति सजग हों और आवश्यकता पड़ने पर उस प्रशिक्षण का उपयोग कर सकें।

2. महिलाओं के प्रति लोगों की सोच को बदलने के हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए मीडिया संचार माध्यमों से पुरुष समाज को उच्च नैतिक मूल्यों हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यदि सोच अच्छी होगी तो वे महिलाओं को भी आदर और सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और उनका नजरिया बदलेगा।

3. हर महिला के लिए आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक सर्वाधिकार सुरक्षित होना अत्यंत आवश्यक है तभी वह अपने साथ-साथ समाज एवं देश का उद्धार कर सकेगी।

4. महिलाओं के संबंध में यौन उत्पीड़न पर बनाए गए कानून व नियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, होर्डिंग लगाए जाएं, हर स्तर पर संदेश दिए जाएं ताकि सभी व्यक्ति भली-भांति जागरूक हो सकें कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं।

5. सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में न केवल कड़े से कड़े कानून बनाए जाने चाहिए बल्कि उनका सख्ती से कार्यान्वयन भी किया जाए। केवल कानून बनाने से ही सरकार के कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती। इनका फायदा तो तभी होगा जब महिलाओं से दुराचार करने वाले व्यक्तियों को सख्त से सख्त तथा जल्दी से जल्दी सजा मिले और यह बात दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन सके। समाज में इस बात का स्पष्ट रूप से संदेश जाए कि अपराधी किसी भी हालत में बच नहीं सकते।

   इस संबंध में गत वर्षों में हुए दिल्ली का निर्भया कांड एक स्पष्ट उदाहरण है कि दोषियों को जबरजनाह व रेप के मामले में सजा देने में सरकार ने कितना समय लगा दिया। ऐसे घिनौने अपराधों के लिए तुरंत सजा दी जानी चाहिए ताकि ताजे ज़ख्मों पर मरहम तो कम से कम लगाई जा सके।

6. महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी कानून बनाए जाएं, वे हर स्तर के लोगों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि किसी मजदूर ने महिलाओं के प्रति कोई अत्याचार किया है, उसे तो कानून के तहत सजा हो परंतु यदि वही अपराध किसी नेता, ताकतवर या अमीर व्यक्ति ने किया है तो वह अपने पैसे या ताकत के कारण बच जाए। कहने का तात्पर्य है कि कानूनों का उपयोग सब पर बराबर रूप से होना चाहिए।

7. टी.वी आदि पर "महिलाओं पर हिंसा" संबंधी दिखाए जाने वाले हिंसक कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा रोक लगाई जानी चाहिए ताकि महिलाओं की छवि मलिन न हो और लोगों पर इसका प्रतिकूल असर भी न पड़े।

8. सरकार द्वारा 'सत्यमेव जयते' जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को पता चल सके कि समाज में क्या कुछ हो रहा है और इस पर कैसे काबू पाया जा सके।

9. इसके अतिरिक्त मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा स्वयं करने हेतु स्वयं भी प्रशिक्षित होना चाहिए जैसे जूडो-कराटे एवं ऐसे ही अन्य सुरक्षात्मक कार्यक्रम ताकि आवश्यकता पड़ने पर वे नुकसान पहुंचाने वालों से दो-चार हो सकें। इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाने चाहिए।

भारतीय नारी सही अर्थों में ममता, त्याग, सतीत्व, धैर्य का प्रतीक है। महिलाओं की सुरक्षा न केवल सरकार का ही कर्तव्य होता है अपितु हम सब को मिलकर इस पावन कार्य में अपना-अपना योगदान देना होगा और पुरुषों को अपनी सोच बदलनी होगी। महिलाओं को श्रद्धा की भावना से देखना होगा और उन्हें आदर और सम्मान देना होगा, तभी हम एक सुंदर समाज की सृजना कर पाएंगे और अपने देश को उन्नति की राह पर अग्रसर कर पाएंगे।

- सी.बी.आर.टी., चंडीगढ़

नव नियुक्त राजभाषा अधिकारियों हेतु प्रारंभिक प्रशिक्षण

दिनांक 19.10.15 से 21.10.15 तक सी.बी.आर.टी., चण्डीगढ़ में नवनियुक्त नामित गए अधिकारियों हेतु आयोजित प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सहभागियों को संबोधित करते हुए दृश्यमान हैं, एल. एच. ओ., चंडीगढ़ के महाप्रबंधक श्री रमिंदर जीत सिंह। मंच पर बाएं से दाएं बैठे हैं - श्री एन. पी. सिंह, प्रधानाचार्य तथा श्री आर. एस. बेवली, मुख्य प्रबंधक, प्र.का. राजभाषा विभाग।

चित्र में उक्त कार्यक्रम के दौरान सहभागियों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रही हैं, सी.बी.आर.टी. चंडीगढ़ की वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) सुश्री इन्दरपाल कौर। मंच के बाएं से दाएं हैं - श्री एन. पी. सिंह, प्रधानाचार्य, एल.एच.ओ. के महाप्रबंधक श्री रमिंदर जीत सिंह, प्र.का. राजभाषा विभाग के प्रभारी व मुख्य प्रबंधक (राजभाषा), श्री आर. एस. बेवली तथा एल.एच.ओ. की प्रबंधक (राजभाषा) डॉ. परमजीत कौर।

बैंक के अधिकारियों के साथ नव नियुक्त राजभाषा अधिकारीगण।

दिनांक 5.11.2015 को आंचलिक कार्यालय जयपुर में मस्तिष्क मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लॉर्ड मैकाले के संदर्भ में स्टाफ सदस्यों को संबोधित करते हुए आंचलिक प्रबंधक, श्री तारा चन्द तंवर। उनके साथ हैं प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रबंधक (राजभाषा) श्री राजिंदर सिंह बेवली तथा श्री बी. एल. सोनी मुख्य प्रबंधक, आंचलिक कार्यालय, जयपुर।

बैंक की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) द्वारा लघु बैंक में ग्रामीण बैंकिंग श्रेणी के अंतर्गत पंजाब एण्ड सिंध बैंक को एसोचैम सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता अवार्ड 2015 का विजेता घोषित किया गया।
- प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा खोले गए खातों में से ज़ीरो बैलेंस खाते 1 प्रतिशत से भी कम रह गए जबकि बैंकिंग उद्योग में ये 29 प्रतिशत रहे।
- गोल्ड बॉड योजना के अंतर्गत बैंक ने 166 किलो सोना बेचा। उपलब्ध सूचनानुसार हमारे बैंक का नाम अभिदान के अनुसार प्रथम 10 रिसीविंग एजेंसियों में शामिल है।
- बैंक को हाल ही में लघु बैंक श्रेणी में एन.एफ.एस. उत्पादों के लिए राष्ट्रीय भुगतान उत्कृष्ट अवार्ड, 2015 का संयुक्त उपविजेता घोषित किया गया।
- दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा हमारे बैंक की हिंदी पत्रिका 'राजभाषा अंकुर' को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

शहरी निर्धनों के लिए आवास योजना कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब एण्ड सिंध बैंक, भोपाल द्वारा दिए जाने वाले ऋण लाभर्को को चाबी सौंपते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। साथ में हैं होशंगाबाद, रोड, भोपाल की शाखा प्रबंधक सुश्री इंदिरा श्रीवास्तव व अन्य स्टाफ सदस्य।

एक कदम स्वच्छता की ओर

‘स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन’